



दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)500/P/VII

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office  
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch  
चेन्नै/Chennai - 600 003  
दि./ Dated: 22-08-2016

आर बी ई सं/RBE No.70 / 2016

पी बी सी सं/ PBC No.113 / 2016

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /  
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units,  
etc.,

(As per mailing list -'A')

विषय/Sub: NOTIFICATION – GSR - Amendment to Railway Services  
(Pension) Rules, 1993.

\*\*\*\*\*

A copy of Railway Board's letter No.2015/F(E)III/1(1)/4 dated  
17-06-2016 (RBE No. 70 / 2016) on the above subject is enclosed for  
information, guidance and necessary action.

(S. Vaidyanathan)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम/ 22/8/16

Senior Personnel Officer/Rules  
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी  
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU  
The Genl Secy / AISCSTREA  
The Genl Secy / AIOBCREA  
The Genl Secy / NFIR

(भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

**भारत सरकार**  
**रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख 11-जून, 2016

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम रेल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2016 है।  
(2) यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियमों निर्दिष्ट किया गया है) में,-

नियम 15 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(1) सरकारी अथवा रेल आवास के अधिभोग से भिन्न देय धन राशियों के लिए, कार्यालय प्रधान रेल सेवक की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की निर्धारित तारीख से "एक वर्ष" पहले देय धनराशियों निर्धारित करने के लिए कदम उठाएगा।

(1-क) कार्यालय प्रधान द्वारा उप-नियम (1) में दी गई सरकारी अथवा रेलवे को देय धनराशियों का निर्धारण रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व पूरा किया जाएगा';

(क) उक्त नियमों के नियम 16 में,-

(i) उप-नियम (1) में शब्दों और अंकों के लिए 'या नियम 98 "बेबाकी प्रमाण पत्र" को जारी करने के संबंध में इसके अभिलेखों की संवीक्षा करेगा और आबंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व कार्यालय प्रधान को सूचित करेगा', को शब्दों, 'नियम 77 में "बेबाकी प्रमाण पत्र" को जारी करने के संबंध में इसके अभिलेखों की संवीक्षा करेगा तथा दो मास के भीतर कार्यालय प्रधान को सूचित करेगा, से रखा जाएगा;

(ii) उपनियम (4) में "चार मास" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उक्त नियमों के, नियम 47 में,-

(i) सीमान्त शीर्ष में, "या" शब्द के स्थान पर शब्द "और" रखा जाएगा;

(ii) उपनियम-(1) में, "या" शब्द के स्थान पर शब्द "और" रखा जाएगा;

(iii) उपनियम(1) के बाद निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) सेवा के सत्यापन के प्रयोजन के लिए कार्यालय प्रधान नियम 79 के उपनियम (1) के खंड (क) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा"

(ग) उक्त नियमों में, नियम 74 के उपनियम (1) के शब्दों और अक्षर "या प्ररूप 5 में जो भी कि मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हो" का लोप किया जाएगा;

(घ) उक्त नियमों के नियम 76 के, उपनियम(1) और उपनियम(2) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) यथास्थिति प्रत्येक विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालय अध्यक्ष प्रत्येक तिमाही अर्थात्, प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर, को ऐसे सभी रेल सेवकों की सूची तैयार करवाएगा जो उस तारीख से अगले बारह से पन्द्रह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(2) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति उस वर्ष की यथा स्थिति 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई अथवा 31 अक्टूबर तक, न कि उसके पश्चात्, संबद्ध लेखा अधिकारी को दी जाएगी"

(उ) उक्त नियमों में, नियम 77 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"77.सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवकों की सूची की तैयारी:- कार्यालय प्रधान ऐसे रेल सेवक की, जिसके अधिभोग में कोई सरकारी आवास था अथवा है (जिसे इसमें इसके पश्चात् आबंटिती कहा गया है), पूर्वानुमानित सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व संपदा निदेशालय को आबंटिती की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि के बारे में "बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिए लिखेगा।"

(च) उक्त नियमों के नियम 78 में, शब्दों "दो वर्ष " के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" शब्द रखा जाएगा;

(छ) उक्त नियमों के नियम 79 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा,:-

"79.अधिवर्षिता पर पेंशन कागजपत्र के पूरा करने के प्रक्रम- (1) कार्यालय प्रधान नियम 78 में निर्दिष्ट एक वर्ष की तैयारी की अवधि को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में विभाजित करेगा, अर्थात्:-

(क) पहला प्रक्रम - सेवा का सत्यापन -

(i) कार्यालय प्रधान रेल सेवक की सेवा पुस्तिका को देखेगा और अपना यह समाधान कर लेगा कि नियम 47 के तहत सत्यापित सेवा के बाद सेवा के सत्यापन के प्रमाण-पत्र उसमें अभिलिखित हैं या नहीं।

(ii) सेवा के असत्यापित भाग या भागों की बाबत वह, यथास्थिति, सेवा के उस भाग या भागों को वेतन बिलों, निस्तारण पंजियों अथवा अन्य सुसंगत अभिलेखों जैसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र, अप्रैल मास की वेतन पर्ची जो पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए सेवा का सत्यापन दिखाते हैं, के आधार पर सत्यापित करेगा और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाण-पत्रों को अभिलिखित करेगा।

(iii) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से इस कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि उस अवधि में रेल सेवक ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग में सेवा की थी तो उस कार्यालय का प्रधान जिसके अधीन रेल सेवक वर्तमान में काम कर रहा हो, सेवा की उक्त अवधि उस कार्यालय के, जिसमें रेल सेवक के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसने उस अवधि में वहां सेवा की थी, प्रधान को सत्यापन के प्रयोजन के लिए भेजेगा।

- (iv) उपखंड (iii) में निर्दिष्ट पत्राचार की प्राप्ति पर, उस कार्यालय अथवा विभाग का प्रधान, उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट तरीके से ऐसी सेवा के भाग अथवा भागों का सत्यापन करेगा तथा ऐसे संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर संदर्भित कार्यालय के प्रधान को आवश्यक प्रमाण-पत्र भेजेगा;  
परंतु यदि किसी अवधि की सेवा का सत्यापन नहीं किया जा सकता है तो इसे साथ-साथ संदर्भित कार्यालय के प्रधान के ध्यान में लाया जाएगा।
- (v) यदि पूर्ववर्ती उप-खंड (iv) में निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी अवधि अथवा अवधियों को पेंशन के लिए अर्हक माना जाएगा।
- (vi) इसके बाद यदि किसी समय के पश्चात्, यह पाया जाता है कि कार्यालय का प्रधान अथवा अन्य संबंधित प्राधिकारी सेवा की किसी गैर-अर्हक अवधि को संसूचित करने में असफल होता है तो रेलवे बोर्ड ऐसे गैर-संसूचन के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करेगा।
- (vii) उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv) और उपखंड (v) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिवर्षिता की तारीख से आठ मास पहले पूरी की जाएगी।
- (viii) यदि रेल सेवक द्वारा की गई सेवा के किसी भाग को उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) या उपखंड (v) में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित नहीं किया जा सकता है तो रेल सेवक को एक महीने के भीतर सादे कागज पर एक लिखित कथन फाइल करने के लिए कहा जाएगा जिसमें वह यह बताएगा कि उसने वास्तव में उस अवधि में सेवा की थी और कथन के अंत में वह इस बात के प्रतीक स्वरूप ऐसे घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करेगा कि उस कथन में जो कुछ कहा गया है वह सही है।
- (ix) कार्यालय का प्रधान उपखंड (viii) में संदर्भित लिखित कथन में दिए गए तथ्य पर विचार कर लेने के पश्चात् सेवा के उस भाग के बारे में स्वीकार करेगा कि वह उस रेल सेवक की पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए की गई सेवा है।
- (x) यदि यह पाया जाता है कि किसी रेल सेवक ने जानबूझकर कोई गलत सूचना दी है, जिससे वह किसी सुविधा के लिए हकदार हो जाता है अन्यथा वह उसका हकदार नहीं है, तो इसे भारी कदाचार के रूप में समझा जाएगा।
- (ख) द्वितीय चरण:- सेवा पुस्तिका के लोपों की पूर्ति:-  
(i) कार्यालय प्रधान सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्रों की छंटनी करते समय उनमें ऐसे लोपों, त्रुटियों या कमियों का पता लगाएगा जिनका उपलब्धियों के अवधारण तथा पेंशन के लिए अर्हक सेवा से सीधा संबंध है।

- (ii) खंड(क) में विनिर्दिष्ट सेवा के सत्यापन को पूरा करने के लिए और उपखंड (i) में निर्दिष्ट लोपों, त्रुटियों अथवा कमियों को पूरा करने के लिए हर प्रयास किया जाएगा.
- (iii) कोई लोप, त्रुटि अथवा कमी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है तथा सेवा की अवधि जिसके बारे में रेल सेवक ने कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया है और सेवा का वह भाग जो सेवा पुस्तिका में असत्यापित दिखाया गया है और जिसे खंड (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं है, उपेक्षा कर दी जाएगी और पेंशन के लिए अर्हक सेवा का सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार पर अवधारण किया जाएगा।
- (iv) कार्यालय प्रधान औसत परिलब्धियों की गणना करने के प्रयोजन के लिए सेवा के अंतिम दस मास के दौरान ली गई या ली जाने वाली उपलब्धियों की शुद्धता सेवा पुस्तिका से सत्यापित करेगा।
- (v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के अंतिम दस मास की उपलब्धियां सेवा पुस्तिका में ठीक-ठीक दर्शाई गई हैं, कार्यालय प्रधान रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व केवल चौबीस मास की अवधि की उपलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन करेगा न कि उस तारीख से पूर्व की किसी अवधि के बारे में।
- (ग) तीसरा प्रक्रम:- जैसे ही द्वितीय चरण पूरा हो जाता है, लेकिन रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम आठ मास पूर्व कार्यालय प्रधान-
- (i) सेवानिवृत्त हो रहे रेल सेवक को पेंशन और उपदान के प्रयोजन के लिए स्वीकृत अर्हक सेवा तथा सेवानिवृत्ति उपदान एवं पेंशन की गणना के लिए प्रस्तावित उपलब्धियों/एवम् औसत उपलब्धियों के संबंध में एक प्रमाण-पत्र भेजेगा।
- (ii) सेवानिवृत्त हो रहे रेल सेवक को निदेश देगा कि यदि कार्यालय प्रधान द्वारा दर्शाई गई प्रमाणित सेवा तथा उपलब्धियां उसे स्वीकार्य नहीं हैं तो दो महीने के भीतर अपने दावे के समर्थन में संगत दस्तावेजों के साथ अस्वीकृति के कारण कार्यालय प्रधान को भेजे।
- (iii) सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी सेवक को प्ररूप 8 भेजेगा तथा सूचित करेगा कि वह सभी तरह से पूर्ण प्ररूप अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 6 महीने पूर्व कार्यालय प्रधान को प्रस्तुत करेगा।

(ज) उक्त नियमों में नियम 79 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"79-क प्ररूप 8 प्रस्तुत करना:- अधिवर्षिता के अलावा अन्य कारणों से सेवानिवृत्त हो रहा रेल सेवक ऐसी सेवानिवृत्ति से पहले लेकिन सहाय प्राधिकारी द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति अनुमोदित करने अथवा सेवानिवृत्ति प्रभावी होने, जैसा भी मामला हो, के बाद प्ररूप 8 प्रस्तुत करेगा।"

(झ) उक्त नियमों के, नियम 80 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"80. पेंशन कागजपत्र को पूरा किया जाना:- नियम 79 के अंतर्गत मामलों में, कार्यालय प्रधान रेल सेवक के सेवानिवृत्ति की तारीख से अनधिक चार मास पहले प्ररूप 7 का भाग 1 पूरा करेगा और नियम 79-क के अंतर्गत मामलों में कार्यालय प्रधान रेल सेवक द्वारा प्ररूप 8 को प्रस्तुत करने के बाद तीन महीने के भीतर प्ररूप 7 का भाग 1 पूरा करेगा।";

(ञ) उक्त नियमों के, नियम 81 में,-

(i) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात्:-

"(4) उपनियम(1) में निर्दिष्ट कागजपत्र रेल सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम चार महीने पहले तथा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य मामलों में प्ररूप 8 प्रस्तुत करने की तारीख के बाद तीन महीने तक लेखा अधिकारी को अग्रेषित किए जाएंगे।";

(ट) उक्त नियमों के, नियम 82 में, शब्द, कोष्ठक एवं अक्षर, "नियम 81 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट अवधि के अंदर" का लोप किया जाएगा;

(ठ) उक्त नियमों के, नियम 83 के, उपनियम के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) कार्यालय प्रधान नियम 15 में निर्दिष्ट सरकारी अथवा रेल बकायों का पता लगाने एवं निर्धारण करने के बाद, प्ररूप 9 में लेखाधिकारी को उसकी विशिष्टियां देगा".

(3) उक्त नियमों के, नियम 91 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"91. विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के अलावा अन्य कारणों के लिए अनंतिम पेंशन- (1)

जहां नियम 79 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बावजूद कार्यालय प्रधान के लिए यह संभव न हुआ हो कि वह नियम 81 के उपनियम(4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नियम 81 में निर्दिष्ट पेंशन कागजपत्र लेखाधिकारी को अग्रेषित कर सके, या पेंशन कागजपत्र लेखा अधिकारी को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्रेषित किए गए हो किन्तु लेखाधिकारी ने पेंशन कागजपत्र कार्यालय प्रधान को पेंशन संदाय आदेश और उपदान का संदाय आदेश जारी करने के पूर्व और जानकारी लेने के लिए लौटा दिया हो तथा सरकारी सेवक इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उसकी पेंशन या उपदान या दोनों अंतिम रूप से निर्धारित और परिनिर्धारित किए जाने के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाएगा, तो कार्यालय प्रधान ऐसी जामकारी पर निर्भर करेगा जो शासकीय अभिलेखों में उपलब्ध हो, और बिना किसी विलंब के अनंतिम पेंशन की राशि तथा अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान की राशि निर्धारित करेगा।

(2) अधिवर्षिता के अन्यथा सेवानिवृत्ति के अन्य मामलों में, प्ररूप 8 प्राप्त होने पर, कार्यालय प्रधान पेंशन संदाय आदेश के जारी होने तक अनंतिम पेंशन तथा अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान स्वीकृत करेगा।

(3) जहां, पेंशन और उपदान की राशि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के अलावा अन्य कारणों से निर्धारित नहीं की जा सकती है, वहां कार्यालय प्रधान-

(क) रेल सेवक को संबोधित एक मंजूरी पत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति लेखा अधिकारी को निम्नलिखित प्राधिकृत करते हुए पृष्ठांकित करेगा-

(i) अनंतिम पेंशन के रूप में पेंशन का शत प्रतिशत छह मास से अनधिक अवधि के लिए, जो रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से संगणित किया जाएगा; और

(ii) अनंतिम उपदान के रूप में उपदान का शत प्रतिशत जिसमें से उपदान का वह भाग जो इन नियमों में उपबंधित हो, विधारित किया जाएगा।

(ख) नियम 83 के उपनियम(1) के अधीन वसूल की जाने वाली रकम मंजूरी पत्र में उपदर्शित करेगा तथा खंड (क) में निर्दिष्ट स्वीकृति पत्र जारी करने के बाद कार्यालय प्रधान -



- (i) अनंतिम पेंशन की राशि; और
  - (ii) खंड(क) के उपखंड(ii) में विनिर्दिष्ट राशि की कटौती करने के पश्चात् अनंतिम उपदान की राशि तथा नियम 15 में विनिर्दिष्ट कोई बकाया, यदि कोई हो, उसी तरीके से निकालेगा जैसे कि उसके द्वारा स्थापना के वेतन एवं भत्ते निकाले जाते हैं।
- (4) उपनियम (2) या उपनियम (3) के अंतर्गत संदेय अनंतिम पेंशन और उपदान की रकम का यदि आवश्यक हो, तो अभिलेखा की विस्तृत संवीक्षा पूरी होने पर पुनरीक्षण किया जाएगा।
- (5) (क) अनंतिम पेंशन का संदाय रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से छः मास की अवधि अथवा रेल सेवक द्वारा प्ररूप 8 प्रस्तुत करने की तारीख, जो भी बाद में हो, से आगे जारी नहीं रखा जाएगा. यदि छः मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अनंतिम पेंशन और अनंतिम उपदान की रकम का अवधारण कार्यालय प्रधान द्वारा, लेखा अधिकारी के परामर्श से कर दिया गया है, तो लेखा अधिकारी

(i) पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा; और

(ii) उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संदत्त अनंतिम उपदान और अंतिम उपदान की रकम के बीच अंतर को सरकारी अथवा रेलवे शोध्यों का, यदि कोई हो, जो अनंतिम उपदान के संदाय करने के पश्चात् जानकारी में आए हों, समायोजन करने के पश्चात् कार्यालय प्रधान को आहरण और संवितरण करने के निदेश देगा।

(ख) यदि यह पाया जाए कि उपनियम (3) के अधीन रेल सेवक को संवितरित अनंतिम पेंशन की रकम उसके अंतिम निर्धारण पर लेखा अधिकारी द्वारा निर्धारित अंतिम पेंशन से अधिक है, तो लेखा अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह पेंशन की उस रकम को खंड (क) उपनियम (3) के उपखंड (ii) के अंतर्गत विधायित उपदान में से समायोजित करेगा अथवा पेंशन की उस अधिक रकम को किश्तों में, भविष्य में संदेय पेंशन का कम संदाय करके, वसूल करेगा।

(ग) (i) यदि कार्यालय प्रधान द्वारा उपनियम (3) के अधीन संवितरित अनंतिम उपदान की रकम अंतिम रूप से निर्धारित रकम से अधिक है तो सेवानिवृत्त रेल सेवक को यह आवश्यक नहीं होगा कि वह कस्तब में उसे संवितरित अधिक रकम का प्रतिदाय करे।

(ii) कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम रूप से निर्धारित उपदान की रकम से अधिक रकम के संवितरण के अवसर कम से कम हों, और अधिक संदाय के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी अतिसंदाय के देनदार होंगे।

(6) यदि उपनियम (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट छः मास की अवधि के भीतर पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण कार्यालय प्रधान द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन और उपदान को अंतिम मानेगा और छः मास की उक्त अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा।

(7) लेखा अधिकारी द्वारा उपनियम (5) के खण्ड (क) अथवा उपनियम (6) के अधीन पेंशन संदाय आदेश के जारी करते ही कार्यालय प्रधान उपनियम (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन विधारित उपदान की रकम ऐसे रेल शोध्यों या सरकारी शोध्यों का जो उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अनंतिम उपदान के संदाय के पश्चात् जानकारी में आए हों, समायोजन करने के पश्चात् सेवानिवृत्त रेल सेवक को प्रतिदाय करने के लिए निर्मुक्त करेगा।

(8) यदि रेल सेवक किसी सरकारी आवास या रेल आवास का आबंटिती है अथवा था, तो विधारित रकम, यथास्थिति, संपदा निदेशालय से 'बेबाकी प्रमाण-पत्र' प्राप्त होने पर या रेल आवास खाली करने पर लौटा देनी चाहिए।"

(द) उक्त नियमों के नियम 85 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात्-

"(1)(क) लेखा अधिकारी नियम 81 में निर्दिष्ट पेंशन कागजपत्र की प्राप्ति पर, अपेक्षित जांचपड़ताल करेगा, प्ररूप 7 भाग (2) में लेखा मुखांकन अभिलिखित करेगा तथा पेंशन, कुटुम्ब पेंशन तथा उपदान की रकम निर्धारित करेगा तथा अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(ख) अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के अन्यथा सेवानिवृत्ति के मामलों में लेखा अधिकारी अपेक्षित जांचपड़ताल करेगा, प्ररूप 7 का भाग (2) पूरा करेगा, पेंशन, कुटुम्ब पेंशन तथा उपदान की राशि निर्धारित करेगा, बकाये निर्धारित करेगा तथा कार्यालय प्रधान से पेंशन कागजपत्र की प्राप्ति की तारीख के तीन महीने के भीतर पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

- (ग) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में रेल सेवक के पति/पत्नी का नाम कुटुम्ब पेंशनभोगी के रूप में देगा, यदि वह जीवित है।
- (घ) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में स्थायी रूप से निःशक्त बालक अथवा बालकों तथा आश्रित मातापिता और विकलांग भाई बहन का भी कुटुम्ब पेंशनभोगी के रूप में नाम देगा, यदि ऐसे विकलांग बालक अथवा बालकों अथवा आश्रित मातापिता अथवा निःशक्त भाई बहन के अलावा कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य न हो, जिसे कुटुम्ब पेंशन देय हो।
- (ङ) मौजूदा पेंशनभोगी अथवा कुटुम्ब पेंशनभोगी के आवेदन पर कार्यालय प्रधान से लिखित पत्रव्यवहार प्राप्त होने पर, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में स्थायी रूप से निःशक्त बालक अथवा बालकों तथा आश्रित मातापिता और विकलांग भाई बहन का भी कुटुम्ब पेंशनभोगी के रूप में नाम देगा। यदि ऐसी निःशक्त बालक अथवा बालकों अथवा आश्रित मातापिता अथवा विकलांग भाई बहन के अलावा कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य न हो, जिसे कुटुम्ब पेंशन देय हो।
- (च) पेंशन संवितरण प्राधिकारी नियम 75 में दिए गए आदेश में नियम 100 के उपबंधों के अनुसार खंड (ग), खंड (घ) अथवा खंड (ङ) में दिए गए कुटुम्ब के सदस्यों के लिए कुटुम्ब पेंशन प्राधिकृत करेगा।
- (ण) उक्त नियमों में, नियम 84 में, परंतुक में "दो सौ पचास रुपये प्रतिमास से अनधिक (जिसके अंतर्गत पेंशन पर राहत की रकम भी है), शब्दों के लिए " पेंशन पर राहत की राशि को छोड़कर तीन हजार पॉच सौ से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे;
- (त) उक्त नियमों में, नियम 87 में-
- (i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्
- "(1) उन सभी मामलों में जिनमें अधिवर्षिता के अलावा सेवानिवृत्ति के मामलों सहित उपदान का संदाय इसकी देय तारीख के बाद प्राधिकृत किया गया है और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कार्रवाई अथवा चूक के कारण हुआ था तो समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार रक्षक रक्षक भविष्य निधि पर लागू दर पर ब्याज संदत्त किया जाएगा।

परन्तु यह तब जब कि संदाय में विलंब रेल सेवक की ओर से अपने पेंशन कागजपत्रों की कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा अभिकथित प्रक्रिया के अनुपालन में असफलता के कारण नहीं हुआ था;"

(ii) उपनियम (2) में शब्दों "प्रशासनिक चूक" के स्थान पर "प्रशासनिक कारण अथवा चूक" शब्दों को रखा जायेगा;

(iii) उपनियम (3) में शब्दों "उपदान के संदाय" के पश्चात् शब्दों "प्रशासनिक चूक के कारण" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(थ) उक्त नियमों में, नियम 90 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(1-क) इस प्रश्न पर निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा कि क्या लेखन गलती के कारण पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है अथवा नहीं";

(द) उक्त नियमों में, नियम 92 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) जहां मृत रेल सेवक का कुटुम्ब नियम 75 के अधीन कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र है, वहां कार्यालय प्रधान प्ररूप 10 में दावा करने के लिए कुटुम्ब के पात्र यथा स्थिति सदस्य अथवा संरक्षक को प्ररूप 14 में लिखेगा;

(4) यदि मृत्यु की तारीख को रेल सेवक को सरकारी अथवा रेल आवास आबंटित था तो कार्यालय प्रधान नियम 98 के उपनियम (1) उपबंधों के अनुसार संपदा निदेशालय अथवा रेल प्रशासन, यथास्थिति, को 'बेबाकी प्रमाण-पत्र' जारी करने के लिए लिखेगा";

(ध) उक्त नियमों में, नियम 95 में,-

(i) शब्दों और अंकों "मद 20, 21, 22, 23, और 24 जहां कहीं हों, के लिए शब्दों और अंकों "मद 14, 21, और 22" रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा;

(न) उक्त नियमों में, नियम 96 में, उपनियम (5) के परंतुक में, शब्दों और कोष्ठक "दो सौ पचास रुपये (कुटुम्ब पेंशन पर राहत सहित)" के लिए शब्द "तीन हजार पाँच सौ रुपये तथा स्वीकार्य मंहगाई राहत" शब्द रखे जाएंगे;

(प) उक्त नियमों में, नियम 97 में-

(i) सीमांत शीर्ष में, शब्दों "अंतिम पेंशन" के लिए शब्दों "अंतिम कुटुम्ब पेंशन" को रखा जायेगा;

(ii) उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2-क) लेखा अधिकारी कुटुम्ब के पहले पात्र सदस्य के लिए कुटुम्ब पेंशन प्राधिकृत करते समय, पेंशन संदाय आदेश में कुटुम्ब पेंशनभोगी के रूप में स्थायी रूप से निःशक्त बालक अथवा बालकों तथा आश्रित माता-पिता तथा निःशक्त भाई-बहन के नाम देगा, यदि कुटुम्ब में ऐसा कोई सदस्य न हो जिसे ऐसे निःशक्त बालक अथवा बालकों अथवा आश्रित माता पिता अथवा विकलांग भाई-बहन से पहले कुटुम्ब पेंशन देय हो।"

(iii) उपनियम (5) का लोप किया जाएगा;

(फ) उक्त नियमों में, नियम 98 में, उपनियम (1) में-

(i) खंड (i) में उपखंड (छ:) में, शब्दों "रेल सेवक मृत्यु की तारीख से चार मास की अनुज्ञेय अवधि" के स्थान पर शब्द "उसके बाद अनुज्ञेय अवधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (viii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ix) उपदान की विधारित राशि से समायोजन के बाद अप्रदत्त अनुज्ञप्ति फीस अथवा नुकसानी की किसी भी राशि के संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से कार्यालय प्रधान द्वारा कुटुम्ब पेंशन - भोगी की सहमति के बिना मंहगाई राहत से वसूली के आदेश किए जाएं तथा ऐसे मामलों में मंहगाई राहत का कोई संवितरण नहीं किया जाए जब तक ऐसे बकायों की पूर्ण वसूली नहीं हो जाती;"

(ब) उक्त नियमों में, नियम 100 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"100. पेंशन भोगी अथवा कुटुम्ब पेंशनभोगी की मृत्यु पर कुटुम्ब पेंशन तथा अवशिष्टीय उपदान की मंजूरी- (1) जहां कार्यालय प्रधान को पेंशन भोगी की मृत्यु अथवा कुटुम्ब पेंशन भोगी की मृत्यु अथवा अपात्रता की सूचना प्राप्त हुई हो, वह इस बात का पता लगाएगा कि क्या मृत पेंशनभोगी की बाबत में कोई पेंशन अथवा अवशिष्टीय उपदान अथवा दोनों तथा कुटुम्ब पेंशन भोगी के संबंध में कोई कुटुम्ब पेंशन देय है, और इसमें इसके आगे दिए गए अनुसार कार्रवाई करेगा।"

(2)(क)(i) यदि मृत पेंशन भोगी की कोई उत्तरजीवी विधवा या विधुर है, जो नियम 75 के अधीन कुटुम्ब पेंशन के अनुदान के लिए पात्र है तो पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित कुटुम्ब पेंशन की रकम पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख के ठीक अगले दिन से, यथास्थिति विधवा या विधुर को संदेय हो जाएगी।

(ii) पेंशन संवितरक प्राधिकारी विधवा अथवा विधुर से प्ररूप 10 में दावा की प्राप्ति होने पर, यथास्थिति विधवा या विधुर को कुटुम्ब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा:

परन्तु प्ररूप 10 में कोई दावा अपेक्षित नहीं होगा यदि विधवा अथवा विधुर का पेंशन भोगी के साथ संयुक्त खाता हो जिसमें पेंशन जमा की जा रही थी।

(iii) पेंशन संवितरक अधिकारी उस विधवा अथवा विधुर को, जिसे प्ररूप 10 प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, पेंशन भोगी की मृत्यु की लिखित में सूचना प्राप्त होने पर कुटुम्ब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा:

परन्तु ऐसी विधवा अथवा विधुर पेंशन संवितरक प्राधिकारी को मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय की वचनबद्धता देंगे कि कोई राशि जिसके लिए वे पात्र नहीं हैं अथवा कोई राशि जो उनके खाते में अधिक मात्रा में साख कर दी जाए जिसके लिए वे पात्र नहीं हैं, प्रतिदाय ले ली जाए अथवा ठीक कर दी जाए।

(iv) खंड (ख) के उपबंधों के अध्याधीन, यदि मृत पेंशनभोगी के स्थायी रूप के निःशक्त बालक अथवा बालकों अथवा आश्रित माता-पिता अथवा निःशक्त भाई बहन हैं जिनके नाम नियम 85 के उपनियम (1) के खंड (घ) के अधीन कुटुम्ब पेंशन भोगी के रूप में पेंशन संदाय आदेश में शामिल किए गए हैं, पेंशन संवितरक प्राधिकारी प्ररूप 10 में दावा प्राप्त होने पर कुटुम्ब के उस सदस्य को कुटुम्ब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा जो नियम 75 के उपबंधों के अनुसार कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है।

(v) जहां मृत पेंशनभोगी के पति/पत्नी तथा स्थायी रूप से निःशक्त बालकों अथवा आश्रित माता-पिता अथवा निःशक्त भाई-बहन हैं, जिनके नाम पहले पेंशन संदाय आदेश में शामिल नहीं किए गए थे, कार्यालय प्रधान से लिखित संसूचना प्राप्त होने पर लेखा अधिकारी उनके नाम पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित करेगा।

(vi) पेंशन संवितरक अधिकारी कुटुम्ब पेंशन भोगी की मृत्यु अथवा पात्र न होने पर तथा प्ररूप 10 में दावा प्राप्त होने पर, स्थायी रूप से निःशक्त उन बालकों अथवा आश्रित माता-पिता अथवा निःशक्त भाई-बहन को कुटुम्ब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा जिनका नाम कुटुम्ब पेंशन

भोगी के रूप में पेंशन संदाय आदेश में शामिल किया गया है तथा जो नियम 75 के उपबंधों के अनुसार कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ख) (i) जहां पेंशन संदाय आदेश में कुटुम्ब के किसी सदस्य का नाम शामिल नहीं है अथवा जहां कार्यालय प्रधान की राय हो कि नियम 75 के उपबंधों के अनुसार मृत पेंशनभोगी अथवा कुटुम्ब पेंशन भोगी के संबंध में कुटुम्ब पेंशन नियम 85 के उपनियम (1) अथवा खंड (क) के उपखंड (i) अथवा उपखंड (iv) के अंतर्गत पेंशन संदाय आदेश में शामिल नामों के अलावा कुटुम्ब के किसी सदस्य को देय हो गई है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगी के कुटुम्ब का सदस्य बना व्यक्ति शामिल है, वह प्ररूप 10 में दावा प्राप्त होने पर, यथास्थिति, प्ररूप 18 अथवा प्ररूप 19 में, कुटुम्ब के ऐसे सदस्य को कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी करेगा जिसे कुटुम्ब पेंशन देय हो गई है।

(ii) यदि कुटुम्ब पेंशन उपखंड (i) के अधीन मंजूर की जाती है, तो कार्यालय प्रधान किसी स्थायी रूप से निःशक्त बालक अथवा बालकों तथा आश्रित माता-पिता तथा निःशक्त भाई-बहन का कुटुम्ब पेंशन भोगी के रूप में नाम शामिल करेगा, यदि कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य नहीं है जिसे ऐसे निःशक्त बालक अथवा बालकों अथवा आश्रित माता-पिता अथवा निःशक्त भाई-बहन से पहले कुटुम्ब पेंशन देय हो।

(3)(i) जहां कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा या विधुर पुनः विवाह कर लेता है और पुनः विवाह के समय मृत रेल सेवक अथवा पेंशनभोगी के संतान अथवा संतानें हैं जो कुटुम्ब पेंशन का पात्र है या पात्र हैं, वहां ऐसा पुनः विवाहित व्यक्ति ऐसी बालक अथवा बालकों की ओर से कुटुम्ब पेंशन लेने का पात्र होगा यदि वह व्यक्ति ऐसे बालक अथवा बालकों का संरक्षक बना रहता है।

(ii) खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, पुनः विवाहित व्यक्ति प्ररूप 10 में कार्यालय प्रधान को आवेदन करेगा और यह घोषणा करेगा कि वह ऐसी बालक अथवा बालकों का संरक्षक बना हुआ है।

(iii) यदि पुनः विवाहित व्यक्ति किसी कारणवश, ऐसी संतान या संतानों का संरक्षक नहीं रह जाता, तो कुटुम्ब पेंशन उस व्यक्ति को संदेय हो जाएगी जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसी बालक या बालकों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार है और ऐसा व्यक्ति कुटुम्ब पेंशन के संदाय के लिए कार्यालय प्रधान को प्ररूप 10 में दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

- (4) यदि कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति अवयस्क है अथवा किसी मानसिक बीमारी अथवा अशक्तता से पीड़ित है अथवा मानसिक मंदित है, तो संरक्षक ऐसे व्यक्ति की ओर से प्ररूप 10 में दावा करेगा।
- (5) जहां किसी सेवानिवृत्ति रेल सेवक की मृत्यु पर कोई अवशिष्ट उपदान नियम 70 के उपनियम (2) के अधीन मृतक के कुटुम्ब को संदेय हो जाता है, वहां कार्यालय प्रधान, अवशिष्ट उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों के प्ररूप 20 में दावा या दावे प्राप्त करने पर उसके संदाय की मंजूरी देगा।”;
- (भ) दिए गए नियमों में:- (i) प्ररूप 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-





यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे।

स्थान और तारीख:

रेल सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं.

टिप्पण 1- उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं हैं। पूर्वोक्त फायदा (i), (ii) और (iii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा।

टिप्पण 2- रेल सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके। नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे। (कार्यालय अध्यक्ष अथवा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन नाम निर्देशन, तारीख.....प्राप्त किए:-

1. उपदान के लिए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993
2. भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल. I का अध्याय 9 का पैरा 941
3. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पदनाम.....

कार्यालय

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवापुस्तिका के पृष्ठ.....खंड.....पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि कर ली गई है। कार्यालय अध्यक्ष अथवा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम, मुहर सहित

प्राप्ति की तारीख.....

प्राप्त करने वाला अधिकारी, पूर्वोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक रूप से पूर्ण प्ररूप की एक हस्ताक्षरित प्रति रेल सेवक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु की दशा में फायदाग्राहियों के कब्जे में आ सके। प्राप्त करने वाला अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर, इस प्ररूप के दोनों पृष्ठों पर करेगा।";

(ii) प्ररूप 5 का लोप किया जाएगा;

(iii) प्ररूप 6, प्ररूप 7, प्ररूप 8, प्ररूप 9, प्ररूप 10, प्ररूप 11, प्ररूप 12, प्ररूप 13, प्ररूप 14, प्ररूप 15, प्ररूप 16, प्ररूप 17, प्ररूप 18, प्ररूप 19 और प्ररूप 20 के लिए क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे अर्थात्:-

अध्याय 6  
[नियम 75 (18) (क) देखें]  
कुटुंब के ब्यारे

1. सरकारी सेवक का नाम.....
2. पदनाम.....
3. जन्म तारीख.....
4. कुटुंब के सदस्यों के ब्यारे जैसे कि वे.....को थे.

क्रम सं.	कुटुंब के सदस्यों के नाम	जन्म तारीख	अधिकारी के साथ नातेदारी	वैवाहिक प्रास्थिति	टिप्पणियाँ	कार्यालय अध्यक्ष के तारीख सहित हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

मैं.....कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपर्युक्त विनिष्टियों को अद्यतन रखने का एतद्वारा वचन देता हूँ।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

टिप्पण-1 रेल सेवक द्वारा प्रस्तुत मूल प्ररूप को प्रतिधारित किया जाए। स्तंभ 7 में कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से सभी परिवर्धन/परिवर्तन इस प्ररूप में अभिलिखित किए जाएं तथा नया प्ररूप न भरा जाए। बहरहाल, सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को कुटुंब के ब्यारे को प्ररूप 8 के साथ दोबारा प्रस्तुत करना चाहिए।

टिप्पण - 2 पति या पत्नी के ब्यौरे, सभी बालक और माता-पिता (चाहे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हों या नहीं) तथा निःशक्त सहोदरों (भाइयों और बहनों) के ब्यौरे दिए जा सकेंगे।

टिप्पण - 3 कार्यालय अध्यक्ष "टिप्पणियों" स्तंभ में कुटुंब के परिवर्धन या परिवर्तन के विषय में संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करेगा. निःशक्तता के बारे में तथ्य या कुटुंब सदस्य के वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन भी "टिप्पणियों" स्तंभ में उपदर्शित किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 4 पति या पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे।

प्रश्न 7

(नियम 78, नियम 80, नियम 81(1) और (3) तथा नियम 85(1) देखिए)

पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान का निर्धारण करने के लिए प्रारूप  
(पीएओ को सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व भेजा जाए)

1. सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारी का नाम ... ..
2. पिता अथवा पति का नाम ... ..
3. पैन सं. ... ..
4. ऊँचाई और पहचान के चिह्न ... ..
5. जन्म तारीख ... ..
6. वह सेवा जिससे वह संबंधित है  
(संगठित सेवा का नाम उपदर्शित करें, यदि कोई है) ... ..
7. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद की विशिष्टियाँ ... ..
  - (क) कार्यालय का नाम
  - (ख) धारित पद
  - (ग) वेतनबैंड वेतन और ग्रेड वेतन अथवा मूल वेतन
  - (घ) मूल वेतन अथवा वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन
  - (ङ) क्या ऊपर उल्लिखित नियुक्ति सरकार के अधीन या सरकार से बाहर अन्यत्र सेवा निबंधनों के तहत थी।
  - (च) यदि अन्यत्र सेवा पर है तो मूल विभाग में पद का वेतनमान अथवा वेतनबैंड, वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन
8. क्या रेल के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी घोषित किया गया है. ... ..
9. सेवा के आरंभ की तारीख ... ..
10. सेवा की समाप्ति की तारीख ... ..
11. सेवा समाप्ति का कारण (कृपया एक पर निशान लगाएं)
  - (क) अधिवर्षिता (नियम 51) ... ..
  - (ख) सरकारी सेवक की पहल पर स्वेच्छिक/समयपूर्व सेवा निवृत्ति [आईआरईसी, वॉ.॥ (1987 संस्करण) के नियम 1802 (ख)(i) और रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 66 एवम् 67 के अधीन]
  - (ग) सरकार की पहल पर समय से पूर्व सेवानिवृत्ति [आईआरईसी, वॉ.॥ (1987) संस्करण के नियम 1802(क) और रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 66 के तहत] ... ..
  - (घ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन (नियम 53,53-क/53-ख) ... ..
  - (ङ) चिकित्सा के आधार पर अमान्यकरण (नियम 55) ... ..
  - (च) पद की समाप्ति के कारण (नियम 63) ... ..

(छ) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (नियम 64) .....

(ज) सेवा से हटाया जाना अथवा पदच्युति (नियम 40 और नियम 65) .....

(झ) मृत्यु

12. अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के आदेश कि पेंशन पूर्ण दरों पर अनुज्ञात हो या घटी दरों पर और घटी दरों के मामले में, वह प्रतिशतता जिस पर इसे अनुज्ञात किया जाना है (कृपया नियम 64 देखिए) .....

13. सेवा से हटाए जाने/पदच्युति की दशा में क्या अनुकंपा भत्ता मंजूर किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश अभिप्राप्त किए गए हैं और यदि ऐसा है तो किस दर पर (कृपया नियम 65 देखिए) .....

14. सैन्य सेवा से संबंधित विशिष्टियाँ, यदि कोई हैं-

(क) सैन्य सेवा की अवधि .....

(ख) सैन्य सेवा से संबंधित ली गई अथवा ली जा रही सेवांत प्रसुविधाएं। .....

(ग) क्या रेल पेंशन के लिए सैन्य सेवा की गणना के लिए विकल्प दिया गया है (नियम 34) .....

(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सेवांत प्रसुविधाओं का प्रतिदाय किया गया है। .....

15. स्वायत्त निकाय अथवा राज्य सरकार में सेवा से संबंधित विशिष्टियाँ, यदि कोई हैं-

(क) सेवा की विशिष्टियाँ :

संगठन का नाम	धारित पद	सेवा की अवधि		
		से	तक	अवधि

(ख) क्या ऊपर उल्लिखित सेवा, रेलवे में पेंशन के लिए गणना में ली जानी है। .....

(ग) क्या स्वायत्त संगठन ने रेलवे को अपने पेंशन दायित्व का निर्वहन किया है। .....

16. क्या रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 9 के निबंधनों में कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ किसी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के विरुद्ध लंबित हैं यदि हां, (नियम 10 के निबंधनों में अनंतिम पेंशन अनुज्ञेय होगी और उपदान विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष और अंतिम आदेशों के जारी होने तक रोक लिया जाएगा।) .....

17. अर्हक सेवा-

- (क) सेवा पुस्तिका में लोप, अपूर्णतः या कमियों के ब्यारि जिनकी उपेक्षा की गई है [नियम 79(1)(ख)(ii) के अधीन] ... ..
- (ख) अर्हक सेवा के रूप में गणना में न ली जाने वाली अवधि- ... ..
- (i) बाल सेवा (नियम 20 का दूसरा परंतुक) ... ..
- (ii) अर्हक सेवा के रूप में गणना में न ली जाने वाली असाधारण छुट्टी (नियम 36) ... ..
- (iii) अर्हक सेवा के रूप में नहीं मानी गई निलंबन की अवधियाँ (नियम 37) ... ..
- (iv) सेवा में व्यवधान [नियम 42(1) (ख) और नियम 43(ग)] ... ..
- (v) संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र की पेंशन का फायदा लिया गया है (नियम 46) ... ..
- (vi) कोई और अवधि जिसे अर्हक सेवा के रूप में नहीं माना गया है (ब्यारि दें) ... ..
- (ग) अर्हक सेवा में परिवर्धन- ... ..
- (i) सिविल (रेलवे सहित) सेवा (नियम 33) ... ..
- (ii) सेना संबंधी सेवा (नियम 34) ... ..
- (iii) स्वायत्त निकाय में सेवा का फायदा ... ..
- (घ) शुद्ध अर्हक सेवा ... ..
- (ङ) पूर्ण छहमासिक अवधियों के निबंधनों में अभिव्यक्त अर्हक सेवा (तीन मास अथवा ऊपर की अवधि को पूर्ण छहमासिक अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 69) ... ..

18. परिलब्धियाँ-

- (क) नियम 49 के निबंधनों में परिलब्धियाँ
- (ख) सेवानिवृत्ति से पूर्व दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियाँ

से	तक	वेतन की दर (एनपीए सहित)	रकम

टिप्पणः यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व कोई अधिकारी अन्यत्र सेवा पर था तो धारणात्मक परिलब्धियाँ जो उसने सरकार के अधीन प्राप्त की होतीं ऊपर मद (क) और (ख) में उल्लिखित की जाएं (नियम 49 के टिप्पण 6)

- (ग) औसत परिलब्धियाँ (नियम 50)
- (घ) परिलब्धियाँ या औसत परिलब्धियाँ (जो भी अधिक हों) जिसकी पेंशन के लिए गणना की जाती है (नियम 69)
- (ङ.) सेवानिवृत्ति उपदान अथवा मृत्यु-उपदान के लिए गणना में

- ली गई परिलब्धियों (नियम 70)
- (घ) कुटुंब पेंशन के लिए गणना में लिया गया वेतन (नियम 75)
19. सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु-उपदान की रकम (नियम 70) ... ..  
(संगणक पत्र का क्रम संख्यांक 9 देखें)
20. उपदान से वसूलीयोग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरि-
- (क) सरकारी आवासन के लिए अनुज्ञप्ति फीस  
[नियम 16 का उप-नियम 2, 3 और 4 देखें] ... ..
- (ख) नियम 15 में निर्दिष्ट शोध्य ... ..
- (ग) नियम 16 के उप-नियम (5) के अधीन रोके जाने के लिए  
संपदा निदेशालय द्वारा उपदर्शित रकम ... ..
21. (क) प्रस्तावित पेंशन अथवा सेवा उपदान (नियम 69) ... ..
- (ख) पेंशन पर प्रस्तावित महंगाई राहत (सेवानिवृत्ति की तारीख  
को यथा विद्यमान) ... ..
- (ग) वह तारीख जिससे पेंशन आरंभ होनी है (नियम 102) ... ..
22. कुटुंब पेंशन की दर-
- (क) बढ़ी दर [नियम 75 (4)] ... ..
- (ख) वह अवधि जिसके लिए कुटुंब पेंशन बढ़ी दर पर संदेय है ... ..
- (ग) साधारण दर [नियम 75 (2)] ... ..
- (घ) वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन की साधारण दर संदेय होगी
23. पेंशन का संराशीकरण-
- (क) क्या पेंशन आवेदन के साथ पेंशन के संराशीकरण के लिए  
एक साथ आवेदन किया गया है (केवल उन व्यक्तियों के लिए  
लागू जो अधिवर्षता पेंशन पर सेवानिवृत्त होते हैं) ... ..
- (ख) संराशित पेंशन की प्रतिशतता ... ..
- (ग) संराशित मासिक पेंशन की रकम ... ..
- (घ) पेंशन का संराशित मूल्य ... ..
- (ड.) संराशित भाग की कटौती करने के पश्चात् पेंशन की शेष रकम ... ..
- (घ) वह तारीख जिससे घटी पेंशन संदेय है ... ..
- (छ) वह तारीख जिसको संराशित पेंशन प्रत्यावर्तित की जानी है. ... ..
24. सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति का सेवानिवृत्ति के पश्चात पता ... ..
25. ई-मेल आई डी, यदि कोई है ... ..
26. मोबाइल नंबर, यदि कोई है ... ..



प्रश्न 7

सेवानिवृत्त देवताओं पर समबोधित कार्यवाई हेतु कार्यालय अध्यक्ष के लिए जांच सूची

1.	क्या सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी या रेल आवास का आबंटन है	
2.	यदि सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी या रेल आवास का कोई आबंटन नहीं है तो वह तारीख जिसको कार्यालय द्वारा "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किया गया है।	
3.	वह तारीख जिसको नियम 77 में यथाउपबंधित, संपदा निदेशालय से "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्राप्त करने के लिए कार्यवाही आरंभ की गई थी।	
4.	संपदा निदेशालय से "बेबाकी प्रमाणपत्र" की प्राप्ति की तारीख	
5.	वह तारीख जिसको संपदा निदेशालय से उपदान से रकम की कोई वसूली अथवा उपदान रोके जाने संबंधी संसूचना प्राप्त हुई।	
6.	वह तारीख जिसको नियम 79 में यथाउपबंधित, पेंशन के लिए अर्हक सेवा और परिलब्धियों का निर्धारण करने के लिए कार्यवाई आरंभ की गई है।	
7.	वह तारीख जिसको नियम 15(1) में यथाउपबंधित सरकारी आवास के आबंटन से संबंधित शोध्यों से निम्न सरकारी शोध्यों का निर्धारण करने के लिए कार्यवाई आरंभ की गई है।	
8.	वह तारीख जिसको सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को अर्हक सेवा की अवधि और सेवा निवृत्ति उपदान तथा पेंशन के लिए गणना में लिए जाने वाली प्रस्तावित परिलब्धियों अथवा औसत परिलब्धियों के बारे में प्रमाणपत्र के साथ रिक्त प्ररूप 8 प्रस्तुत किया गया था।	
9.	क्या उपरोक्त प्रमाणपत्र पर कर्मचारी से कोई आक्षेप प्राप्त हुए हैं।	
10.	वह तारीख जिसको कर्मचारी ने पेंशन के लिए प्ररूप 8 में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।	
11.	क्या सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप में निम्नलिखित के लिए नाम निर्देशन किया गया है। (i) मृत्यु उपदान/सेवानिवृत्ति उपदान (ii) सी जी ई जी आई एस के अधीन संदाय (iii) राज्य रेल भविष्य निधि की रकम, यदि लागू हो (iv) पेंशन का बकाया (v) पेंशन का संराशित मूल्य (यदि लागू हो)	
12.	क्या प्ररूप 6 में कुटुंब के ब्यौरे संलग्न हैं।	
13.	क्या अक्षमता का धिकित्तीय प्रमाणपत्र (अशक्त पेंशन के लिए) संलग्न है	
14.	क्या प्रभावी बचत का कथन और कारण कि नियोजन कहीं और क्यों नहीं पाया जा सकता था, संलग्न है (यदि ढावा प्रतिकर पेंशन या उपदान के लिए है।	
15.	यदि पेंशन के कागजपत्रों को रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के छह मास पूर्व अयोधित नहीं किया जा सका तो, क्या विलंब के कारणों को उपदर्शित करने वाले कथन को संलग्न किया गया है।	
16.	क्या रेल सेवक के पुनःबहाली के संबंध में संक्षिप्त कथन को संलग्न किया गया है (यदि रेल सेवक को सेवा से निलंबित, अनिवार्य सेवा निवृत्ति, सेवा से हटाए जाने या पदच्युति के पश्चात् पुनःबहाल किया गया है।)	

भाग-2

1. कार्यालय अध्यक्ष से लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागज-पत्रों की प्राप्ति की तारीख
2. अनुज्ञय हकदारियाँ-
  - (क) अर्हक सेवा की अवधि ... ..
  - (ख) पेंशन - ... ..
    - (i) पेंशन का वर्ग ... ..
    - (ii) मासिक पेंशन की रकम ... ..
    - (iii) प्रारंभ की तारीख ... ..
  - ग. पेंशन का संराशीकरण
    - (i) संराशित पेंशन का भाग, यदि कोई है ... ..
    - (ii) संराशित पेंशन के भाग का संराशित मूल्य, यदि कोई है ... ..
    - (iii) संराशीकरण के बाद अवशिष्ट पेंशन ... ..
    - (iv) वह तारीख जिसको घटी हुई पेंशन संदेय है ... ..
    - (v) पेंशनभोगी के लगातार जीवित रहने के अध्यक्षीन पेंशन के संराशित भाग के प्रत्यावर्तन की तारीख ... ..
  - घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान
    - (i) उपदान की कुल रकम ... ..
    - (ii) सरकारी आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस के बकाए के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम और सेवानिवृत्ति के परे सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए फीस [नियम 16(1) और 16(4) देखिए] रोके जाने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा संसूचित रकम ... ..
    - (iii) निर्धारित नहीं की गई अनुज्ञप्ति फीस के कारण [नियम 16(5) देखिए] ... ..
    - (iv) सरकारी आवास से भिन्न सरकारी शोध्यों के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम [नियम 15(3) (ख)] ... ..
    - (v) दी जाने वाली शुद्ध रकम ... ..
3. कुटुंब पेंशन
  - (i) बढी दर पर ... ..
  - (ii) वह अवधि जिसके लिए कुटुंब पेंशन बढी दर पर संदेय है. ... ..
  - (iii) सामान्य दर पर ... ..
3. लेखा का शीर्ष जिसमें पेंशन, सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन ... .. की रकम नामे की जानी है।

लेखा अधिकारी

पेंशन संगणना पत्र

नाम	.....
पदनाम	.....
वेतनबैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	.....
जन्म तारीख	.....
रेल सेवा में प्रवेश की तारीख	.....
सेवा निवृत्ति की तारीख	.....
पेंशन अथवा उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (जो पी पी ओ में उपदर्शित की गई है)	.....
अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियाँ	.....
(1) परिलब्धियाँ और औसत परिलब्धियाँ जो पेंशन के लिए अधिक लाभप्रद है (जो पी पी ओ में उपदर्शित की गई है.)	.....
(2) अनुज्ञेय पेंशन (यदि अर्हक सेवा दस वर्ष या अधिक है) निम्नानुसार संगणना दर्शित की जाए-	.....
परिलब्धियाँ या औसत परिलब्धियाँ/2	.....
(1) उपदान के लिए परिलब्धियाँ (जो पी पी ओ में उपदर्शित की गई है)	.....
(2) अनुज्ञेय सेवा निवृत्ति उपदान की गणना को निम्नानुसार दर्शित किया जाए.	.....
परिलब्धियाँ/4X अर्हक सेवा (पूर्ण छहमासिक अवधियाँ में, किंतु 66 से अधिक नहीं.)	.....
(1) कुटुंब पेंशन के लिए वेतन (जिसे पी पी ओ में उपदर्शित किया गया है)	.....
(2) अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन गणना को निम्नानुसार दर्शित किया जाए:-	.....
(क) साधारण कुटुंब पेंशन:- वेतन X 30 प्रतिशत (विहित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यक्षीन)	.....
(ख) बड़ी कुटुंब पेंशन वेतन ÷ 2 [नियम 75 के अनुसार विहित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यक्षीन]	.....

कार्यालय प्रधान

प्रतिहस्ताक्षरित पी ए ओ

प्रति - श्री/श्रीमती/कुमारी.....सेवा निवृत्त होने वाला रेल सेवक

प्ररूप 8

[नियम 79 (1) (ग) और नियम 81 (1) देखिए]

[रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम 1993 का नियम 6(2), नियम 13, नियम 14(3), नियम 15(1) और नियम 16(3) भी देखें.]

सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक से उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिप्राप्त की जाने वाली विशिष्टियाँ

1. नाम
2. (क) आयकर के लिए स्थायी लेख संख्यांक (पैन)  
(ख) आधार संख्या, यदि उपलब्ध है
3. पहचान के कुछ चिह्न विनिर्दिष्ट करें जो दो से कम न हों, यदि संभव हो  
(i)  
(ii)
4. ऊंचाई
5. भावी पत्रव्यवहार के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् पता/स्थायी पता:
6. बैंक खाता संख्यांक जिसमें पेंशन जमा की जानी है:  
(संयुक्त खाता, स्वयं या उत्तरजीवी, पति/पत्नी के साथ)  
(यदि कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि किसी सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक का उसके नियंत्रण से परे कारणों से संयुक्त खाता खोला जाना संभव नहीं है, तो इस अपेक्षा को शिथिल किया जा सकेगा.)
7. बैंक की शाखा का नाम जिसके माध्यम से पेंशन ली जानी है  
(क) शाखा का बी एस आर कोड  
(ख) शाखा का आई एफ एस सी कोड
8. उपदर्शित करें कि क्या कुटुंब पेंशन किसी अन्य स्रोत से भी अनुज्ञेय है - सेना या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लोक उद्यम उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा स्थानीय निधि
9. मैं रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार अपनी अधिवर्षिता पेंशन का.....प्रतिशत (40 प्रतिशत तक) के संराशीकरण की वांछ करता हूँ।

मैं अवगत हूँ कि पेंशनभोगी अथवा कुटुंब पेंशनभोगी का भावी अच्छा आचरण पेंशन अथवा कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और इसके जारी रहने के लिए विवक्षित शर्त होगी।

जांच सूची के अनुसार संलग्नक संलग्न है.

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर:

पदनाम:

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय:

मोबाइल नं.

ई-मेल आईडी.....

टिप्पण 1: पेंशन का संराशीकरण वैकल्पिक है। मद 9 हटा दी जाए यदि सेवानिवृत्त होने वाला रेल सेवक, पेंशन की प्रतिशतता को संग्रहित करने के लिए इच्छुक नहीं है।

टिप्पण 2: रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 के प्ररूप 2 में अधिवर्षिता पेंशन के संराशीकरण के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी यदि सेवानिवृत्त होने वाला रेल सेवक इस प्ररूप के प्रस्तुत करने के पश्चात् किंतु सेवा निवृत्त के तीन मास पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए वांछ करता है।

टिप्पण 3: यह रेल सेवक के हित में है कि वह ई मेल आईडी और मोबाइल नं. दे जो उनमें भावी पत्र-व्यवहार को सुकर बनाएगा।

**प्ररूप 8 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची**

क्रम सं.	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का वर्णन	क्या संलग्न किया गया है
1(क) (ख)	हस्ताक्षर के दो नमूने (पृथक पन्ने में प्रस्तुत किया जाए) अतिरिक्त जानकारी (केवल निरक्षर या निःशक्त रेल सेवक के मामले में) :- दो पक्षियों जिनमें से प्रत्येक पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो साक्षर नहीं है और अपने नाम का हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, उसके बाएँ हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छापें जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं, दी जाएगी। यदि ऐसा रेल सेवक शारीरिक निःशक्तता के कारण बाएँ हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप देने में असमर्थ है तो वह दाएँ हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप दे सकता है। जहाँ रेल सेवक के दोनों ही हाथ न हों तो, वह अपने पाँव की अंगुलियों की छापें दे सकता है। छापों को किसी राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।	
2.	पति या पत्नी के साथ पासपोर्ट फोटो आकार के संयुक्त फोटोग्राफ की तीन प्रतियाँ। जहाँ किसी रेल सेवक के लिए अपनी पत्नी या अपने पति के साथ फोटो देना संभव नहीं है तो वह अलग से फोटो दे सकेगा/सकेगी। फोटो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे। निःशक्त बच्चे/सहोदर/निर्भर माता-पिता के पासपोर्ट फोटो आकार के फोटो की तीन प्रतियाँ, जहाँ लागू है (कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित)	
3.	प्ररूप 6 में कुटुंब का ब्यौरा	
4.	79(1) (क) के अधीन सेवा की अवधि की गणना के लिए लिखित कथन, यदि कोई है।	
5.	पेंशन संवितरक बैंक द्वारा किए गए किसी अधिक संदाय के प्रतिदाय के लिए वचनबंध।	
6.	सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप में उपदान, सी जी ई जी आइ एस और एस आर पी एफ के लिए नामनिर्देशन	
7.	सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप में पेंशन के संराशित मूल्य (यदि पेंशन संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया है) और पेंशन के बकाया के लिए नाम निर्देशन	
8.	अनुभव (वैकल्पिक) के अंतर्गत ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप	

(vi)

भाग 9  
[नियम 81 (1) देखें]

[उस पत्र का प्ररूप जिसके साथ रेल सेवक के पेंशन पत्र लेखा अधिकारी को भेजे जाएंगे]

सं.....  
.....कार्यालय  
.....स्टेशन  
तारीख.....

सेवा में

वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी/  
वेतन और लेखा अधिकारी

विषय:- पेंशन प्राधिकृत करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी.....के पेंशनपत्र  
महोदय,

मुझे इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के/की/श्री/श्रीमती/कुमारी..... के पेंशनपत्रों को आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए आपको भेजने का निदेश दिया गया है.

2. उन सरकारी (रेल सहित) शोध्यों के ब्यौरे, जो रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख को बकाया होंगे और जिन्हें सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से वसूल किया जाना है, नीचे उपदर्शित है-

- |   |     |
|---|-----|
| (क) गृह निर्माण या सवारी अयोग्यता का अतिशेष   | रु. |
| (ख) वेतन और भत्तों का, जिसके अंतर्गत छुट्टी वेतन भी शामिल है, अतिसंदाय  | रु. |
| (ग) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य आयकर   | रु. |
| (घ) सरकारी अथवा रेलवे आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस का बकाया   | रु. |
| (ङ.) सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी अथवा रेलवे आवास रखने के लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम | रु. |
| (च) नियम 16 (5) के अधीन संपदा निदेशालय की संसूचना के अनुसार धारित की जाने वाली रकम                              | रु. |
| (छ) कोई अन्य निर्धारित शोध्य और उनकी प्रकृति  | रु. |

3. आपका ध्यान संलग्नकों की ओर दिलाया जाता है जो इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

4. इस पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृत करें और इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को जानकारी दें कि सेवानिवृत्त होने वाले रेलवे सेवक/पेंशनभोगी को संसूचना के अधीन पेंशन के संवितरण के लिए आवश्यक अनुदेश संबद्ध संवितरक प्राधिकारी को जारी कर दिए गए हैं।

5. आपसे प्राधिकार प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति उपदान इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा निकाला और संवितरित किया जाएगा. पैरा 2 में वर्णित बकाया सरकारी अथवा रेल शोध, संदाय करने से पूर्व सेवानिवृत्ति उपदान में से वसूल कर लिए जाएंगे।

भवदीय,

कार्यालय प्रधान

**संलग्नकों की सूची-**

1. संलग्नकों और जॉय सूचियों के साथ सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 7 और प्ररूप 8
2. सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में सेवानिवृत्ति की तारीख उपदर्शित की जाए)

**टिप्पण**

1. यदि विभिन्न परामर्शित अभिलेखों में रेलवे सेवक के आद्यक्षर या नाम गलत रूप में दिए गए हैं तो इस बात का पत्र में वर्णन किया जाना चाहिए.
2. यदि कोई रेल सेवक सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है और रेलवे सेवक से प्ररूप 8 अभिप्राप्त करने में विलंब होने की प्रत्याशा है तो कार्यालय अध्यक्ष पेंशन पत्र, प्ररूप 8 के बिना ही, लेखा अधिकारी को भेजेगा. प्ररूप 8 रेल सेवक से अभिप्राप्त होने पर बाद में यथाशीघ्र भेज दिया जाएगा.



प्रश्न 10

[नियम 92(3) और 100(2) देखिए]

रेल सेवक अथवा पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर अथवा कुटुंब पेंशन भोगी की अपात्रता या मृत्यु पर कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन का प्ररूप

1. (i) रेल सेवक का नाम जिसके बाबत कुटुंब पेंशन का दावा किया जा रहा है।  
(ii) अंतिम सेवारत कार्यालय/विभाग/मंत्रालय  
(iii) रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख  
(iv) रेल सेवक/पेंशन भोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख  
(v) रेल सेवक/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशन भोगी का पी पी ओ संख्यांक

2. दावेदार का नाम और अन्य ब्यौरे:-

नाम	जन्म की तारीख	मृत रेल सेवक से नातेदारी	अक का पता

3. यदि दावेदार अवयस्क है या मस्तिष्क के विकार या निःशक्तता से पीड़ित है जिसमें मानसिक मंदन भी सम्मिलित है तो संरक्षक/नामनिर्देशिनी के ब्यौरे दें जहां कहीं लागू हों।

नाम	जन्म की तारीख	अवयस्क/ मानसिक अशक्त के साथ नातेदारी	मृत सरकारी सेवक के साथ नातेदारी	अक का पता

4. मृत रेल सेवक/पेंशन भोगी की उत्तरजीवी विधवा/विधुर, बालक, आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों भाइयों और बहनों के ब्यौरे प्ररूप 6 में संलग्न हैं।

5. खाता संख्यांक, उस बैंक का नाम और शाखा का बी एस आर कोड जिसमें कुटुंब पेंशन जमा की जानी है।

6. कुटुंब पेंशन का अन्य स्रोत- सेना या राज्य सरकार और/या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि, यदि कोई है.

मैं अवगत हूँ कि दावेदार/कुटुंब पेंशनभोगी का भावी अच्छा आचरण, कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और इसके जारी होने के लिए विवक्षित होगा.

संलग्न: जाँच सूची के अनुसार

दावेदार/संरक्षक के बाएं हाथ के अंगूठे की छाप  
मोबाइल/टेलीफोन सं.....  
आयकर का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन सं.).....  
आधार संख्या यदि उपलब्ध है.....

नाम और पूर्ण पत्तों सहित दो साक्षियों के हस्ताक्षर

(i)

(ii)

टिप्पण: प्ररूप 10 को न भरा जाए यदि पति या पत्नी का मृत पेंशन भोगी के साथ संयुक्त खाता था. ऐसे मामलों में, कुटुंब पेंशन को सादे कागज पर आवेदन के आधार पर पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा. स्थायी निःशक्त बालक/सहोदर भाई और बहन और आश्रित माता-पिता जिनको पेंशनभोगी के पी पी ओ में प्राधिकृत किया गया है, यह प्ररूप कुटुंब पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।

प्ररूप 10 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची

1.	दावेदार के दो नमूने हस्ताक्षर (पृथक पन्ना में प्रस्तुत किया जाए) जो राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किए गए हैं। (किसी व्यक्ति द्वारा दो पंरियाँ जिनमें से प्रत्येक पर आवेदक के बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छापें हैं जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं जो अपना नाम हस्ताक्षरित करने में साक्षर नहीं हैं, यदि ऐसा व्यक्ति शारीरिक निःशक्तता के कारण से बाएं हाथ के अंगूठे और उंगली की छाप देने के लिए असमर्थ है तो वह दाहिने हाथ का अंगूठा और उंगली की छाप दे सकेगा/सकेगी। जहां रेल सेवक के दोनों हाथ न हों तो वह पैर की अंगुली की छाप दे सकेगा/सकेगी जिसे राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।	
2.	दावेदार की फोटो की पासपोर्ट आकार की दो प्रतियाँ जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं।	
3.	ऊंचाई और वैयक्तिक पहचान चिह्न को दर्शित करने वाली दो पंरियाँ, जो राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा अनुप्रमाणित हों।	
4.	प्ररूप 6 में कुटुंब का ब्यौरा	
5.	आयु का/के प्रमाणपत्र जिसमें/जिनमें बालकों की जन्म तारीख दर्शित की गई है। यह प्रमाणपत्र नगरपालिका प्राधिकारियों अथवा स्थानीय पंचायत केंद्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड /मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रमुख से होना चाहिए।	
6.	पेंशन संवितरण बैंक द्वारा किए गए अधिक संदाय के प्रतिदाय के लिए वचनबंध	
7.	संरक्षक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगूठा और अंगुली की छाप के नमूने सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किए जाएं, संरक्षक के मामले में जो अपने नाम हस्ताक्षरित करने के लिए पर्याप्त रूप से साक्षर नहीं हैं।	
8.	संरक्षक/नामनिर्देशिती के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की दो अनुप्रमाणित प्रतियाँ।	
9.	संरक्षक/नामनिर्देशिती की ऊंचाई और पहचान चिह्नों की विशिष्टियाँ दर्शित करने वाली वर्णनात्मक पंजी, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित।	
10.	पूर्व पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के पी पी ओ की प्रति	
11.	संरक्षक के स्थायी पते का सबूत	
12.	मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी/पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति।	
13.	पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की अपात्रता के संबंध में दस्तावेज की प्रति, यदि लागू हो।	

प्ररूप 11

[नियम 92(2) देखिए]

जहां कि मृत्यु उपदान दिए जाने के संबंध में कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में हो यहां मृत रेल सेवक के नामनिर्देशिती को ज्ञेय जाने वाले पत्र का प्ररूप

सं.....

.....कार्यालय

.....स्टेशन

तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

.....

विषय:- स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी.....की बाबत मृत्यु उपदान का संदाय.

महोदय/महोदया,

मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि.....कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के/की स्वर्गीय श्री/श्रीमती/.....(नाम और पदनाम/ द्वारा किए गए नामनिर्देशन के निबंधनों के अनुसार उसके नाम निर्देशित (नामनिर्देशितियों) को मृत्यु उपदान संदेय है. उक्त नामनिर्देशन की एक प्रति यहां संलग्न है.

2. मुझे यह निवेदन करना है कि आप उपदान दिए जाने के लिए अपना दावा संलग्न प्ररूप 13 में प्रस्तुत करें.

3. यदि नामनिर्देशन करने की तारीख के बाद से कोई ऐसी आकस्मिकता घटित हो गई हो जिससे कि नामनिर्देशन पूर्णतः या भागतः अविधिमान्य हो जाता हो तो कृपया उस आकस्मिकता के ठीक ठाक ब्यारों का कथन करें.

भवदीय,

कार्यालय प्रधान

प्रकाश 12

[नियम 93(2) देखिए]

जहां कि मृत्यु उपदान दिए जाने के संबंध में कोई भी नामनिर्दिष्ट अस्तित्व में नहीं हो वहां मृत रेल सेवक के कुटुंब के सदस्य या सदस्यों को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररूप

सं.....

..... कार्यालय

..... स्टेशन

तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

.....

विषय:- स्वर्गीय श्री/श्रीमती/.....की बाबत मृत्यु उपदान का संदाय.

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 70 और नियम 71 के निबंधनों के अनुसार.....कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के/की स्वर्गीय श्री/श्रीमती/.....(नाम और पदनाम) के कुटुंब के निम्नलिखित सदस्यों को मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान बराबर अंशों में संदेय है,

(i) पत्नी/पति, जिसके अंतर्गत न्यायिक रूप से पृथक्कृत: पत्नी/पति भी है.

(ii) पुत्र }

(iii) अविवाहित पुत्रियाँ { जिनके अंतर्गत सांतेले बालक और दत्तक बालक भी आते हैं.

(iv) विधवा पुत्रियाँ }

2. यदि कुटुंब का उपर्युक्त या यथा-उपदर्शित कोई भी उत्तरजीवी सदस्य नहीं है तो उपदान कुटुंब के निम्नलिखित सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में संदेय होगा:-

(i) पिता}

(ii) माता} जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिनकी स्वीय विधि में दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा है, दत्तक माता-पिता हैं।

(iii) अठारह वर्ष से कम की आयु का भाई और अविवाहित और विधवा बहनें, जिनके अंतर्गत सांतेले भाई और सांतेली बहनें हैं।

(iv) विवाहित पुत्रियाँ ; और

(v) पूर्व मृत पुत्र के बालक

3. निवेदन है कि उपदान के संदाय के लिए दावा, यथासंभव शीघ्र, संलग्न प्ररूप 13 में प्रस्तुत किया जाए।

भवदीय,

कार्यालय प्रधान

प्ररूप 13

[नियम 92 (2) देखिए]

रेल सेवक की मृत्यु पर मृत्यु उपदान दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप

(प्रत्येक दावेदार द्वारा अलग-अलग भरा जाए और अवयस्क दावेदार की दशा में यह प्ररूप उसकी ओर से संरक्षक द्वारा भरा जाए। एक से अधिक अवयस्कों की दशा में, और यदि उनका संरक्षक एक ही हो तो, संरक्षक को उनकी ओर से एक ही प्ररूप में उपदान का दावा करना चाहिए।)

1. (i) मृत रेल सेवक का नाम जिसकी बाबत उपदान का दावा किया जा रहा है.  
(ii) रेल सेवक की मृत्यु की तारीख  
(iii) कार्यालय/विभाग/मंत्रालय जिसमें मृत व्यक्ति ने अंतिम सेवा की थी.
2. दावेदार (री) का नाम और अन्य ब्यौरे-

क्र. सं.	नाम	जन्म तारीख	मृत रेल सेवक के साथ नातेदारी	डाक का पता

3. यदि दावेदार अवयस्क है (हैं) तो संरक्षक का ब्यौरा-

नाम	जन्म तारीख	अवयस्क के साथ नातेदारी	मृत रेल सेवक के साथ नातेदारी	डाक का पता

खाता संख्यांक के साथ बैंक के ब्यौरे,

4. ई-संदाय/ई सी एस के लिए आई एफ एस सी कोड

दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर/  
अंगूठे का निशान

संलग्नक:

- (i) मृत्यु प्रमाणपत्र
- (ii) जन्म का प्रमाणपत्र (अवयस्क व्यक्तियों की दशा में)
- (iii) दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुली के नमूने

रकम 14

[नियम 2 (3) देखिए]

कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए मृत रेल सेवक के कुटुंब सदस्य को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररूप

सं.....  
 ..... कार्यालय  
 .....स्टेशन  
 तारीख.....

सेवा में,

.....  
 .....  
 .....

विषय:- स्वर्गीय श्री/श्रीमती/.....की बाबत कुटुंब पेंशन का संवाय.

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75 के निबंधनों के अनुसार.....कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के/की स्वर्गीय श्री/श्रीमती/..... (पदनाम) की बाबत आपको कुटुंब पेंशन संदेय है.

2. आपको सलाह दी जाती है कि कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए दावा संलग्न प्ररूप 10 में प्रस्तुत किया जाए.
3. विधवा/विधुर की मृत्यु या पुनर्विवाह के पश्चात् अपात्रता की दशा में, कुटुंब पेंशन, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75 के अनुसार पात्र बालक या बालकौ, आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदर भाइयों या बहनों, यदि कोई है, को मंजूर की जाएगी।
4. बालक रहित विधवा की दशा में पुनर्विवाह के पश्चात् भी, कुटुंब पेंशन इस अध्यक्षीन के अधीन संदेय होगी कि उसका उपार्जन रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत न्यूनतम कुटुंब पेंशन की राशि और उस पर महंगाई राहत से कम या उसके बराबर है।

भवदीय,

कार्यालय प्रधान

प्ररूप 15

[निकाय 47 देखिए]

पेंशन के लिए सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र का प्ररूप

सं.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

दिनांक.....

प्रमाण-पत्र

लेखा अधिकारी के परामर्श से यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पदनाम.....ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार तारीख.....को.....वर्ष.....मास और.....दिन की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। सेवा का सत्यापन उसके सेवा दस्तावेजों के आधार पर इस समय प्रवृत्त अर्हक सेवा संबंधी नियमों के अनुसार किया गया है. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 47 के उपनियम (1) और (2) के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तों को जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अर्हित होती है, शासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदनंतर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

अर्हक सेवा के ब्यारि

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का नाम	तारीख से	तारीख तक	अर्हक सेवा की अवधि
1.				
2.				
3.				

कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर तथा मुहर

सेवा में,

श्री.....

(नाम और पदनाम)



भाग 16

[नियम 93(1), नियम 95(1), नियम 95(5), नियम 97(1) देखें]  
सेवा में रहते हुए रेल सेवक की मृत्यु की दशा में कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के निर्धारित और प्राधिकृत करने के लिए प्रश्न

भाग 1

अनुभाग 1

1. मृत रेल सेवक का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. महिला रेल सेवक की दशा में पति का नाम.....
4. जन्म तारीख (ईसवी सन के अनुसार).....
5. मृत्यु की तारीख (ईसवी सन के अनुसार).....
6. धर्म
7. मृत्यु के समय धारित पद की विशिष्टियाँ  
(क) कार्यालय का नाम  
(ख) अधिष्ठायी पद  
(ग) स्थानापन्न पद  
(घ) वेतनमान/ वेतनबैंड और ग्रेड वेतन  
(ङ) मूल वेतन/ वेतनबैंड में वेतन और ग्रेड वेतन  
(च) क्या अंतिम धारित पद रेलवे के अधीन था या अन्यत्र सेवा के निबंधन के अधीन रेलवे से बाहर था।  
(छ) यदि अन्यत्र सेवा पर था, तो मूल विभाग में धारित पद का वेतनमान/वेतनबैंड, वेतनबैंड में वेतन और ग्रेड वेतन
8. सेवा के आरंभ की तारीख
9. (i) सैन्य सेवा की कुल अवधि, यदि कोई है, जिसके लिए पेंशन और/या उपदान मंजूर किया गया था  
(ii) सैन्य सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन/उपदान की रकम और प्रकृति
10. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में सेवा से संबंधित विशिष्टियाँ, यदि कोई हैं  
(क) सेवा की विशिष्टियाँ

संगठन का नाम	धारित पद	सेवा की अवधि		
		से	तक	अवधि

(ख) क्या उपरोक्त सेवा सरकार में उपदान के लिए गणना में ली जाने वाली है।

(ग) क्या स्वायत्त संगठन ने पेंशन संबंधी दायित्व का निर्वहन रेलवे को कर दिया है।

11. पूर्व सिविल सेवा, यदि कोई है, के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की रकम और प्रकृति।

12. मृत्यु उपदान के लिए अर्हक सेवा

(क) सेवा पुस्तिका में लोप, अपूर्णता या कमियाँ के ब्यौरे जिनकी उपेक्षा की गई है  
[धारा 79(1) (ख) (ii) के अधीन]-

(ख) गैर अर्हक सेवा की अवधियाँ-

से

तक

- (i) नियम 42 और 43 के अधीन माफ किया गया सेवा में व्यवधान
- (ii) असाधारण छुट्टी जो उपदान के लिए अर्हक नहीं है
- (iii) निलंबन की अवधि जो गैर-अर्हक सेवा के रूप में मानी गई है।
- (iv) बाल सेवा (नियम 20 का दूसरा परंतुक)
- (v) संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ अन्यत्र सेवा की अवधियाँ जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र पेंशन का लाभ लिया गया है (नियम 46)
- (vi) अन्य कोई सेवा जिसे अर्हक सेवा के रूप में नहीं माना गया है

गैर-अर्हक सेवा की कुल अवधि

(ग) अर्हक सेवा में परिवर्धन-

- (i) सिविल (रेलवे सहित) सेवा (नियम 33)
- (ii) सैन्य सेवा (नियम 34)
- (iii) किसी स्वायत्त निकाय में सेवा का फायदा अर्हक सेवा की कुल अवधि

(घ) शुद्ध अर्हक सेवा

(ड.) पूर्ण छह मास की अवधियों के निबंधनों में अभिव्यक्त अर्हक सेवा (तीन मास और तीन मास से अधिक की अवधि को पूर्ण छह मास अवधि के रूप में माना जाए (नियम 69)

13. (क) मृत्यु उपदान के लिए गणना योग्य परिलब्धियाँ

(ख) मृत्यु उपदान की रकम

14. मृत्यु उपदान से वसूलीयोग्य सरकारी अथवा रेलवे शोध्यों के ब्यौरे-

- (i) सरकारी अथवा रेलवे आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फ़िस
- (ii) रोके जाने के लिए संपदा निदेशालय इंजीनियरिंग विभाग द्वारा यथाउपदर्शित रकम
- (iii) नियम 98(2) में निर्दिष्ट शोध्य

15. मृत्यु उपदान के रूप में संदेय शुद्ध रकम

16. नाम निर्देशिती (यों) के ब्यारे जिनको मृत्यु उपदान संदेय है

क्र.सं.	नाम	मृत्यु उपदान में हिस्सा	जन्म की तारीख	पता	मृत रेल सेवक के साथ नातेदारी

17. संरक्षक/नामनिर्देशिती के ब्यारे जो अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालक के मामले में मृत्यु उपदान का संदाय प्राप्त करेंगे.

क्र.सं.	अवयस्क/मानसिक निःशक्तता वाला बालक	संरक्षक का नाम	संरक्षक का पता	मृत रेल सेवक के साथ संरक्षक नातेदारी

18. वह तारीख जिसको रेल सेवक की मृत्यु के बारे में संसूचना कार्यालय के प्रधान द्वारा प्राप्त की गई थी।

19. वह तारीख जिसको निम्नलिखित के लिए कार्रवाई आरंभ की गई थी-

(i) नियम 92 में यथाउपबंधित मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन के लिए समुचित प्ररूप में दावेदार से दावा या दावों को प्राप्त करना;

(ii) नियम 98(1) में यथाउपबंधित संपदा निदेशालय से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त करना

(iii) सरकारी या रेल आवास के अधिभोग से संबंधित शोध्यों से भिन्न सरकारी अथवा रेलवे शोध्यों का निर्धारण।

(iv) नियम 93 और नियम 94 में यथाउपबंधित मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन के लिए अर्हक सेवा और परिलब्धियों का निर्धारण

20. कुटुंब पेंशन के संदाय के ब्यारे

कुटुंब पेंशन की दर	कुटुंब पेंशन की रकम	वह अवधि जिसमें यह संदेय है	
		से	तक
बढ़ी दर (यदि नियम 75(4) के अनुसार मृत्यु के समय की गई सेवा सात वर्ष से अधिक है)			
साधारण दर			
नियम 75(3क) के अधीन वृद्ध कुटुंब पेंशन भोगी को उस तारीख पर ही अतिरिक्त कुटुंब पेंशन, यदि कोई है।			

21. व्यक्तियों जिनको कुटुंब पेंशन संदेय है-

(i) नाम.....

(ii) मृत रेल सेवक से नातेदारी.....

(iii) पूर्ण डाक का पता.....

22. संरक्षक के ब्यौरे जो अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालकों के मामले में कुटुंब पेंशन का संदाय प्राप्त करेगा।

क्र.सं.	अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालक का नाम	संरक्षक का नाम	संरक्षक का पता	मृत रेल सेवक के साथ संरक्षक की नातेदारी

23. लेखाशीर्ष जिसमें मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन विकसनीय है.

स्थान

तारीख.....

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

**अनुभाग 2**

**नियम 98 के अनुसार कार्यालय के प्रधान द्वारा निकाली जाने वाली और संवितरित की जाने वाली अनंतिम कुटुंब पेंशन और उपदान के ब्यारि**

अनंतिम कुटुंब पेंशन.....	रु मासिक
मृत्यु उपदान (अनुभाग 1 की मद 13(ख) में उल्लिखित रकम)	रु
घटाएं	
(क) सरकारी अथवा रेल आवासन के अधिभोग के लिए उपदान से वसूलनीय अनुमति फीस [अनुभाग 1 की मद सं.14(i)]	रु
(ख) संपदा निदेशालय/इंजी. विभाग (अनुभाग 1 की मद सं. 14(ii)) से सूचना की प्राप्ति लंबित होने पर विधरित उपदान की रकम	रु
(ग) अनुभाग 1 की मद 14(iii) में यथाउल्लिखित अन्य सरकारी शोध्य	रु
(घ) (क), (ख) और (ग) का योग	रु

स्थान.....

तारीख.....

कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर

**भाग 2**

**सेवा मुखांकन**

**अनुभाग 1**

- (i) मृत्यु उपदान के लिए स्वीकार की गई अर्हक सेवा की कुल अवधि.....  
(ii) कुटुंब पेंशन के लिए स्वीकार की गई निरंतर सेवा की कुल अवधि.....
- सरकारी अथवा रेलवे शोध्य के समायोजन के पश्चात मृत्यु उपदान की शुद्ध रकम

3. कुटुंब पेंशन की रकम और मान्य अवधि

कुटुंब पेंशन की दर	कुटुंब पेंशन की रकम	वह अवधि जिसमें यह संदेय है.	
		से	तक
बढ़ी दर [यदि नियम 75(4) के अनुसार मृत्यु के समय की गई सेवा सात वर्ष से अधिक है]			
साधारण दर			
नियम 75(3क) के अधीन वृद्ध कुटुंब पेंशन भोगी को तारीख पर ही अतिरिक्त कुटुंब पेंशन, यदि कोई है.			

4. वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन संदेय है  
5. लेखा शीर्ष जिसमें मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन विकलनीय है

अनुभाग 2

1. मृत रेल सेवक का नाम ..... ..
2. रेल सेवक की मृत्यु की तारीख ..... ..
3. वह तारीख जिसको लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागज पत्र प्राप्त किए गए ..... ..
4. प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की रकम ..... ..
5. प्राधिकृत उपदान की रकम ..... ..
6. कुटुंब पेंशन के प्रारंभ की तारीख ..... ..
7. वह तारीख जिसको कुटुंब पेंशन और उपदान संदाय प्राधिकृत किया गया ..... ..
8. उपदान से वसूलनीय रकम ..... ..
9. 'बेबाकी प्रमाणपत्र' की प्राप्ति के लंबन पर रोकी गई उपदान की रकम ..... ..

स्थान  
तारीख.....

लेखा अधिकारी

**प्ररूप 17**

**(मिशन 100 देखिए)**

**उस पत्र का प्ररूप जिसके साथ लेखा अधिकारी को ऐसे रेल सेवक के, जिसके सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, कुटुंब को कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के संदाय के लिए कानून पत्र भेजे जाएंगे**

सं.....

.....का कार्यालय

.....स्टेशन

तारीख.....

सेवा में,

वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधि./

वेतन और लेखा अधिकारी

.....

.....

.....

**विषय: कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान की मंजूरी**

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पदनाम)..... की मृत्यु तारीख.....को हो गई है. उनका कुटुंब; कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान प्राप्त करने का पात्र हो गया है. प्ररूप 16 जो सम्यक रूप से भरा गया है, आगे आवश्यक कार्यवाही के लिए इसके साथ भेजा जा रहा है.

2. मृत रेल सेवक की बाबत रेलवे शोधक जैसा प्ररूप 16 के भाग 1 के अनुभाग 2 में दर्शित है, मृत्यु उपदान में से वसूल किए जाएंगे।

3. आपका ध्यान संलग्नकों की ओर, जो इसके साथ भेजे जा रहे हैं, आकृष्ट किया जाता है।

4. इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जाए और इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को यह सूचना दी जाए कि कुटुंब पेंशन भोगी की संसूचना के अधीन कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के संवितरण संबंधी आवश्यक अनुदेश संबद्ध संवितरक प्राधिकारी को भेज दिए गए हैं.

भवदीय,

कार्यालय प्रधान

संलग्नकों की सूची-

1. सम्यक रूप से पूर्ण प्ररूप 10 (जांच सूची के साथ) और प्ररूप 16
2. सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में मृत्यु की तारीख दर्शित की जाएगी)



प्रकरण 18

(नियम 199(2) देखिए)

सेवा निवृत्त रेल सेवक की मृत्यु पर किसी सदस्य (शक्ति पत्नी से निम्न) को कुटुंब पेंशन मंजूर करने वाले पत्र का प्रारूप

सं.....

.....का कार्यालय

.....स्टेशन

तारीख.....

सेवा में,

वित्त सला. एवं मुख्य लेखा अधि./

वेतन और लेखा अधिकारी

.....

.....

.....

विषय: बालक/बालक/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर (भाई-बहन) को कुटुंब पेंशन का दिया जाना.  
महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस मंत्रालय/विभाग के/की श्री/श्रीमती.....भूतपूर्व.....(पदनाम) को उसकी सेवानिवृत्ति पर दिनांक .....से.....रूप की पेंशन मंजूर की गई थी.

2. इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री/श्रीमती.....की मृत्यु .....को हो गई है और मृत्यु के समय उसके कोई भी विधवा/विधुर नहीं था, किंतु उसके निम्नलिखित उत्तरजीवी थे।

क्र.सं.	नाम	जन्म तारीख	की पता	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	क्या किसी निःशक्तता से पीड़ित है	वैवाहिक प्रास्थिति

3. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75 के निबंधनों में कुटुंब पेंशन की रकम श्री/कुमारी/श्रीमती.....को संदेय हो गई है। अवयवर्को/मानसिक निःशक्त बालक की ओर से कुटुंब पेंशन श्री/श्रीमती.....को संदेय होगी जो नामनिर्देशिनी/संरक्षक है।

4. श्री/कुमारी/श्रीमती.....को.....रुपए प्रतिमास की कुटुंब पेंशन दिए जाने की मंजूरी एतदद्वारा दी जाती है. कुटुंब पेंशन तारीख.....से प्रभावी होगी और रेल सेवा (पेंशन) नियम,1993 के नियम 75 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसार धार्य होगी.

5. कुटुंब पेंशन शीर्ष.....को विकलनीय होगी.

6. आपका ध्यान इसके साथ अद्येधित संलग्नकों की ओर आकृष्ट किया जाता है.

7. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति की जाए और इस मंत्रालय/विभाग कार्यालय को सूचना दी जाए कि कुटुंब पेंशन के संदाय संबंधी आवश्यक अनुदेश कुटुंब पेंशनभोगी को संसूचना के अधीन संवितरण प्राधिकारी को जारी कर दिए गए हैं।

भवदीय

कार्यालय प्रधान

संलग्नकों की सूची-

1. प्ररूप 10 (जॉच सूची के साथ)

प्रश्न 19

(नियम 100(2) देखिए)

कुटुंब पेंशन पाने वाले की मृत्यु अथवा अपात्रता पर कुटुंब के अन्य व्यक्ति को कुटुंब पेंशन संस्वीकृत करने के लिए पत्र का प्ररूप

सं.....  
.....का कार्यालय  
.....स्टेशन  
तारीख.....

सेवा में,

वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधि./  
वेतन और लेखा अधिकारी

.....  
.....  
.....

विषय: कुटुंब पेंशन पाने वाले की मृत्यु या अपात्रता पर कुटुंब पेंशन की मंजूरी.

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती.....जो इस मंत्रालय/विभाग कार्यालय में.....(पदनाम) थे/थी के.....(नातेदारी) श्री/श्रीमती/कुमारी.....को पीपीओ. सं.....द्वारा तारीख.....से.....रूप के कुटुंब पेंशन के संदाय को प्राधिकृत किया गया था.

2. इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री/श्रीमती.....की तारीख.....को मृत्यु हो गई है/.....के कारण कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है।

3. मृत रेल सेवक/पेंशनभोगी के कुटुंब के निम्नलिखित उत्तरजीवी सदस्य हैं-

क्र.सं.	नाम	जन्म तारीख	पता	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	क्या किसी निःशक्तता से पीड़ित है	वैवाहिक प्रास्थिति

4. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75 के निबंधनों में कुटुंब पेंशन की रकम श्री/कुमारी/श्रीमती.....को संदेय हो गई है. अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालक की कुटुंब पेंशन श्री/श्रीमती.....को संदेय होगी जो नामनिर्देशिती/संरक्षक है।

5. श्री/कुमारी/श्रीमती.....को.....रुपए प्रतिमास की कुटुंब पेंशन दिए जाने की मंजूरी एतदद्वारा दी जाती है. कुटुंब पेंशन तारीख.....से प्रभावी होगी और रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसार धार्य होगी.

6. कुटुंब पेंशन शीर्ष.....को विकल्पनीय होगी।

7. आपका ध्यान इसके साथ अशेषित संलग्नकों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

8. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति की जाए और इस मंत्रालय/विभाग कार्यालय को सूचना दी जाए कि कुटुंब पेंशन के संदाय संबंधी आवश्यक अनुदेश कुटुंब पेंशनभोगी को संसूचना के अधीन संबद्ध संवितरण प्राधिकारी को जारी कर दिए गए है।

भवदीय

कार्यालय प्रधान

संलग्नकों की सूची-

1. प्ररूप 10 (जाँच सूची के साथ)

## प्रत्येक 20

(नियम 100(3) देखिए)

पेंशनभोगी की मृत्यु पर अवशिष्ट उपदान दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप

(प्रत्येक दावेदार द्वारा पृथक रूप से भरा जाए)

1. (i) पेंशनभोगी का नाम जिसकी बाबत अवशिष्ट उपदान का दावा किया जा रहा है।
- (ii) अंतिम बार किस कार्यालय/विभाग/मंत्रालय में सेवा की गई थी।
- (iii) पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख
- (iv) पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख
- (v) पेंशनभोगी की पीपीओ संख्या, यदि लागू हो

2. दावेदार (दावेदारों) का नाम और अन्य ब्यारे,-

क्र.सं.	नाम	जन्म की तारीख	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	डाक का पता

3. यदि दावेदार अवयस्क है/हैं या मानसिक मंदता सहित मस्तिष्क के विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है/हैं तो संरक्षक का ब्यारा-

क्र.सं.	जन्म की तारीख	अवयस्क के साथ नातेदारी	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	डाक का पता

4. खाता संख्या, बैंक की शाखा का नाम और बी एस आर कोड जिसमें रकम जमा की जानी है।
5. मृत पेंशनभोगी को मंजूर की गई मासिक पेंशन (तदर्थ वृद्धि सहित यदि कोई हो)/सेवा उपदान की रकम।
6. मृत पेंशन भोगी द्वारा प्राप्त सेवानिवृत्ति उपदान की रकम।
7. मृत्यु की तारीख तक मृतक द्वारा प्राप्त की गई पेंशन (तदर्थ वृद्धि सहित, यदि कोई हो)/सेवा उपदान की रकम।

8. यदि मृतक ने अपनी मृत्यु से पूर्व पेंशन का कोई भाग संराशित कर लिया था तो पेंशन का संराशित मूल्य
9. मद 6, 7 और 8 का योग.
10. परिलब्धियों के 12 गुने के बराबर मृत्यु उपदान की रकम
11. दावा किए गए अवशिष्ट उपदान की रकम अर्थात् मद 10 और 9 के सामने दर्शित की गई रकम के बीच का अंतर

संलग्नक- राजपत्रित रेल सेवक द्वारा  
सम्यक रूप से अनुप्रमाणित हस्ताक्षर  
या अंगूठे की छाप के नमूने

दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का नमूना  
मोबाइल/टेलीफोन नं.....  
आयकर के लिए स्थायी लेखा संख्यांक (पैन).....  
आधार संख्या, यदि कोई है.....

नामों और पूर्णपत्तों सहित दो साक्षियों के हस्ताक्षर

(i)

(ii)

टिप्पण 1. यदि ऐसे सेवानिवृत्त रेल सेवक की मृत्यु, जिसे सेवा उपदान या पेंशन मिल रही हो, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से जिसके अंतर्गत शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी है, पांच वर्ष के भीतर हो जाती है और ऐसे उपदान या पेंशनमदों जिसके अंतर्गत तदर्थ वृद्धि, यदि कोई हो, भी है, अपनी मृत्यु के समय उसके द्वारा वस्तुतः प्राप्त की गई धनराशि मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान सहित और उसके द्वारा संराशित अपनी पेंशन के किसी भाग का संराशित मूल्य उसकी परिलब्धियों के 12 गुनी रकम से कम है तो कमी के बराबर की अवशिष्ट उपदान की रकम कुटुंब को संदेय हो जाएगी। जब सरकारी सेवक पेंशन अर्जित करने से पूर्व सेवा निवृत्त हो गया है तब सेवा उपदान की रकम उपदर्शित की जानी चाहिए.

टिप्पण 2. राजपत्रित रेल सेवक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित हस्ताक्षरों के दो नमूने पृथक पत्र में प्राप्त किए जाएंगे. सम्यक रूप से अनुप्रमाणित बाएं हाथ के अंगूठे और उंगली छापे वाली प्रत्येक दो परियों प्राप्त की जाएं, जो अपने नाम हस्ताक्षरित करने के लिए साक्षर नहीं हैं. शारीरिक निःशक्तता के कारण यदि ऐसा व्यक्ति बाएं हाथ के अंगूठे और उंगली छाप देने में असमर्थ हैं तो वह दाहिने हाथ का अंगूठा और उंगली छाप दे सकेगा. जहां रेल सेवक दोनों हाथ खो चुका है वह पैर की उंगली की छाप दे सकेगा जिसे रेल सेवक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित होना चाहिए".

(फाइल सं. 2015/एफई)III/1(1)/4)

तनवीर

(तनवीर अहमद)

कार्य.निदेशित (स्था.)

रेलवे बोर्ड.

टिप्पण:- मूल नियम क्र.आ. सं. 930 (अ) तारीख 3 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे. उक्त नियम नीचे दी गई अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

- (i) क्र.आ.511 तारीख 25 फरवरी, 1995;
- (ii) क्र.आ. 1026, तारीख 15 अप्रैल, 1995;
- (iii) क्र.आ. 1553, तारीख 15 जुलाई, 2000;
- (iv) क्र.आ. 1554, तारीख 15 जुलाई, 2000;
- (v) क्र.आ. 1081, तारीख 30 मार्च, 2002;
- (vi) क्र.आ. 1488(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2003;
- (vii) क्र.आ. 1214 (अ), तारीख 4 नवंबर, 2004;
- (viii) क्र.आ. 3191, तारीख 18 दिसंबर, 2004;
- (ix) क्र.आ. 399, तारीख 5 फरवरी, 2005;
- (x) क्र.आ. 1001, तारीख 19 मार्च, 2005;
- (xi) क्र.आ. 1306, तारीख 8 अप्रैल, 2006;
- (xii) क्र.आ. 3005, तारीख 13 अक्टूबर, 2007;
- (xiii) क्र.आ. 2944, तारीख 25 अक्टूबर, 2008;
- (xiv) क्र.आ. 3117(ई), तारीख 23 सितम्बर, 2013;

(क्र.सं. 2015/एफ(ई)/ए/1(1)/4)

तन्वी

(समधीर आज़मद)

कार्य-विधे-विज्ञ (एच.ए.)

रेल बोर्ड.

RBE No. 70 /2016

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB - SECTION (I)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

Notification

New Delhi, Dated the 17 June, 2016.

G.S.R..... In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Services (Pension) Rules, 1993, namely:-

1. (1) These rules may be called the Railway Services (Pension) Amendment Rules, 2016.
- (2) Save as otherwise expressly provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Railway Services (Pension) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 15, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely:-
  - (1) For the dues other than the dues pertaining to occupation of Government or Railway accommodation, the Head of Office shall take steps to assess the dues "one year" before the date on which a railway servant is due to retire on superannuation.
  - (1A) The assessment of Government or Railway dues in sub-rule (1) shall be completed by the Head of Office eight months prior to the date of retirement of the railway servant.;
- (a) in the said rules, in rule 16, -
  - (i) in sub-rule (1), for the words and figures 'or rule 98 regarding the issue of "No Demand Certificate" shall scrutinise its records and inform the Head of Office eight months before the date of retirement of the allottee', the words 'of rule 77 regarding the issue of "No Demand Certificate" shall scrutinise its records and inform the Head of Office within two months' shall be substituted.
  - (ii) in sub-rule (4), the words "of four months" shall be omitted;



- (b) In the said rules in rule 47,-
- (i) In the marginal heading, for the word "or", the word "and" shall be substituted;
  - (ii) in sub-rule(1), for the word "or", the word "and" shall be substituted;
  - (iii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-  
"(1A) For the purposes of verification of service, the Head of Office shall follow the procedure provided in clause (a) of sub-rule (1) of rule 79.";
- (c) In the said rules, in rule 74, in sub-rule (1), the words and figure "or Form 5, as may be appropriate in the circumstances of the case," shall be omitted;
- (d) In the said rules, in rule 76, for sub-rule (1) and sub-rule (2), the following sub-rules shall respectively be substituted, namely:-
- "(1) Every Head of Department or Head of Office, as the case may be, shall have a list prepared every three months, that is, on the 1<sup>st</sup> January, 1<sup>st</sup> April, 1<sup>st</sup> July and 1<sup>st</sup> October each year, of all railway servants who are due to retire within the next twelve to fifteen months of that date.
  - (2) A copy of every such list shall be supplied to the Accounts Officer concerned not later than 31<sup>st</sup> January, 30<sup>th</sup> April, 31<sup>st</sup> July or 31<sup>st</sup> October, as the case may be, of that year.";
- (e) In the said rules, for rule 77, the following rule shall be substituted, namely:-
- "77. Preparation of list of railway servants due for retirement.- The Head of Office shall write to the Directorate of Estates one year before the anticipated date of retirement of the railway servant who was or is in occupation of a Government accommodation (hereinafter referred to as the allottee) for issuing a 'No Demand Certificate' in respect of the period preceding eight months of the retirement of the allottee.";
- (f) In the said rules, in rule 78, for the words "two years" the words "one year" shall be substituted;
- (g) In the said rules, for rule 79, the following rule shall be substituted, namely:-

79. Stages for the completion of pension papers on superannuation - (1) The Head of Office shall divide the period of preparatory work of one year referred to in rule 78 in the following three stages, namely:-

(a) First Stage - Verification of service. -

- (i) The Head of Office shall go through the service book of the railway servant and satisfy himself as to whether the certificates of verification for the service subsequent to the service verified under rule 47 are recorded therein.
- (ii) In respect of the unverified portion or portions of service, he shall verify the portion or portions of such service, as the case may be, based on pay bills, acquittance rolls or other relevant records such as last pay certificate, pay slip for month of April which shows verification of service for the previous financial year and record necessary certificates in the service book.
- (iii) If the service for any period is not capable of being verified in the manner specified in sub-clause (i) and sub-clause (ii), that period of service having been rendered by the railway servant in another office or Department, the Head of Office under which the railway servant is at present serving shall refer the said period of service to the Head of Office in which the railway servant is shown to have served during that period for the purpose of verification.
- (iv) On receipt of communication referred to in sub-clause (iii), the Head of Office in that office or Department shall verify the portion or portions of such service, in the manner as specified in sub-clause (ii), and send necessary certificates to the referring Head of Office within two months from the date of receipt of such a reference:  
Provided that in case a period of service is incapable of being verified, it shall be brought to the notice of the referring Head of Office simultaneously.
- (v) If no response is received within the time referred to in sub-clause (iv), such period or periods shall be deemed to qualify for pension.
- (vi) If at any time thereafter, it is found that the Head of Office and other concerned authorities had failed to communicate any non-qualifying period of service, the Railway Board shall fix responsibility for such non-communication.
- (vii) The process specified in sub-clauses (i), (ii), (iii), (iv) and (v) shall be completed eight months before the date of superannuation.
- (viii) If any portion of service rendered by a railway servant is not capable of being verified in the manner specified in sub-clause (i) or sub-clause (ii) or sub-clause (iii) or sub-clause

(iv) or sub-clause (v), the railway servant shall be asked to file a written statement on plain paper within a month, stating that he had in fact rendered service for that period, and shall, at the foot of the statement, make and subscribe to a declaration as to the truth of that statement.

- (ix) The Head of Office shall, after taking into consideration the facts in the written statement referred to in sub-clause (viii) admit that portion of service as having been rendered for the purpose of calculating the pension of that railway servant.
- (x) If a railway servant is found to have given any incorrect information wilfully, which makes him entitled to any benefits which he is not otherwise entitled to, it shall be construed as a grave misconduct.

**(b) Second Stage.- Making good omission in the service book.-**

- (i) The Head of Office while scrutinising the certificates of verification of service shall also identify if there are any other omissions, imperfections or deficiencies which have a direct bearing on the determination of emoluments and the service qualifying for pension.
- (ii) Every effort shall be made to complete the verification of service, as specified in clause (a) and to make good the omissions, imperfections or deficiencies in sub-clause (i).
- (iii) Any omission, imperfection or deficiency which is incapable of being made good and the periods of service about which the railway servant has submitted no statement and the portion of service shown as unverified in the service book which it has not been possible to verify in accordance with the procedure laid down in clause (a) shall be ignored and service qualifying for pension shall be determined on the basis of the entries in the service book.
- (iv) For the purpose of calculation of average emoluments, the Head of Office shall verify from the service book the correctness of the emoluments drawn or to be drawn during the last ten months of service.
- (v) In order to ensure that the emoluments during the last ten months of service have been correctly shown in the service book, the Head of Office may verify the correctness of emoluments only for the period of twenty-four months preceding the date of retirement of a railway servant, and not for any period prior to that date.

**(c) Third Stage.- As soon as the second stage is completed, but not later than eight months prior to the date of retirement of the railway servant, the Head of Office shall -**

- (i) Furnish to the retiring railway servant a certificate regarding the length of qualifying service proposed to be admitted for the purpose of pension and gratuity and also the

emoluments and the average emoluments proposed to be reckoned for retirement gratuity and pension.

- (ii) direct the retiring railway servant to furnish to the Head of Office the reasons for non-acceptance, supported by the relevant documents in support of his claim within two months if the certified service and emoluments as indicated by the Head of Office are not acceptable to him.
- (iii) Forward to the retiring Government servant Form 8 advising him to submit the same duly completed in all respects so as to reach the Head of Office not later than six months prior to his date of retirement.;

(h) in the said rules, after rule 79, the following rule shall be inserted, namely:-

"79-A. Submission of Form 8.- A railway servant, retiring for reasons other than superannuation may, submit Form 8 before such retirement but after the competent authority has approved such retirement or the retirement has become effective, as the case may be.";

(i) in the said rules, for rule 80, the following rule shall be substituted, namely:-

"80. Completion of pension papers .- In cases under rule 79, the Head of Office shall complete Part I of Form 7 not later than four months before the date of retirement of a railway servant and in cases under rule 79-A, the Head of Office shall complete Part I of Form 7 within three months after submission of Form 8 by a railway servant.";

(j) in the said rules, in rule 81, -

(i) sub-rule (3) shall be omitted;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) The papers referred to in sub-rule (1) shall be forwarded to the Accounts Officer not later than four months before the date of superannuation of a railway servant and in cases other than retirement on superannuation not later than three months after the date of submission of Form 8.";

(k) in the said rules, in rule 82, the words, brackets and figures, "within the period specified in sub-rule (4) of rule 81" shall be omitted;

(l) in the said rules, in rule 83, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The Head of Office shall, after ascertaining and assessing the Government or Railway dues referred to in rule 15, furnish the particulars thereof to the Accounts Officer in Form 9.";

(m) in the said rules, for rule 91, the following rule shall be substituted, namely:-

"91. Provisional pension for reasons other than Departmental or Judicial proceedings. - (1) where in spite of following the procedure laid down in rule 79, it is not possible for the Head of Office to forward the pension papers referred to in rule 81 to the Accounts Officer within the period specified in sub-rule (4) of that rule or where the pension papers have been forwarded to the Accounts Officer within the specified period but the Accounts Officer may have returned the pension papers to the Head of Office for eliciting further information before issuing pension payment order and order for the payment of gratuity and the Government servant is likely to retire before his pension and gratuity or both can be finally assessed and settled in accordance with the provisions of these rules, the Head of Office shall rely upon such information as may be available in the official records, and without delay, determine the amount of provisional pension and the amount of provisional retirement gratuity.

(2) On receipt of Form B, in a case of retirement otherwise than on superannuation, the Head of Office shall sanction provisional pension and also provisional retirement gratuity till issue of Pension Payment Order.

(3) Where the amount of pension and gratuity cannot be determined for reasons other than the Departmental or Judicial proceedings, the Head of Office shall -

(a) issue a letter of sanction addressed to the railway servant endorsing a copy thereof to the Accounts Officer authorising -

(i) 100 per cent. of pension as provisional pension for a period not exceeding six months to be reckoned from the date of retirement of the railway servant; and

(ii) 100 per cent. of the gratuity as provisional gratuity withholding that part of gratuity as provided in these rules.

(b) specify in the letter of sanction the amount recoverable from the gratuity under sub-rule (1) of rule 83 and after issuing the letter of sanction referred to in clause (a), the Head of Office shall draw -

(i) the amount of provisional pension; and

(ii) the amount of provisional gratuity after deducting therefrom the amount specified in sub-clause (ii) of clause (a) and the dues, if any, specified in rule 15.

in the same manner as pay and allowances of the establishment are drawn by him.

- (4) The amount of provisional pension and gratuity payable under sub-rule (2) or sub-rule (3) shall, if necessary, be revised on the completion of the detailed scrutiny of the records.
- (5) (a) The payment of provisional pension shall not continue beyond the period of six months from the date of retirement of a railway servant or from the date of submission of Form 8 by the railway servant, whichever is later, and if the amount of final pension and the amount of final gratuity had been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer before the expiry of said period of six months, the Accounts Officer shall –
  - (i) issue the pension payment order; and
  - (ii) direct the Head of Office to draw and disburse the difference between the final amount of gratuity and the amount of provisional gratuity paid under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (3) after adjusting the Government or Railway dues, if any, which may have come to notice after the payment of provisional gratuity.
- (b) If the amount of provisional pension disbursed to a railway servant under sub-rule (3) is, on its final assessment, found to be in excess of the final pension assessed by the Accounts Officer, it shall be open to the Accounts Officer to adjust the excess amount of pension out of gratuity withheld under sub-clause (ii) of clause (a) sub-rule (3) or recover the excess amount of pension in instalments by making short payments of the pension payable in future.
- (c) (i) If the amount of provisional gratuity disbursed by the Head of Office under sub-rule (3) is more than the amount finally assessed, the retired railway servant shall not be required to refund the excess amount actually disbursed to him.
  - (ii) The Head of Office shall ensure that chances of disbursing the amount of gratuity in excess of the amount finally assessed are minimized and the officials responsible for the excess payment shall be accountable for the over-payment.
- (6) If the final amount of pension and gratuity has not been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer within a period of six months referred to in clause (a) of sub-rule (5), the Accounts Officer shall treat the provisional pension and gratuity as final and issue pension payment order immediately on the expiry of the period of six months.
- (7) As soon as the pension payment order has been issued by the Accounts Officer under clause (a) of sub-rule (5) or sub-rule (6), the Head of Office shall release the amount of withheld gratuity under

sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (3) to the retired railway servant after adjusting Government or Railway dues which may have come to notice after the payment of provisional gratuity under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (3).

(8) If a railway servant is or was an allottee of Government or Railway accommodation, the withheld amount should be paid on receipt of "No Demand Certificate" from the Directorate of Estates or on vacation of Railway accommodation, as the case may be.;

(n) in the said rules, in rule 85, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely -

"(1) (a) On receipt of pension papers referred to in rule 81, the Accounts Officer shall apply the requisite checks, record the account encasement in Part II of Form 7 and assess the amount of pension, family pension and gratuity and issue the pension payment order not later than one month in advance of the date of the retirement of a railway servant on attaining the age of superannuation.

(b) In the cases of retirement otherwise than on attaining the age of superannuation, the Accounts Officer shall apply the requisite checks, complete Part II of Form 7, assess the amount of pension, family pension and gratuity, assess dues and issue the pension payment order within three months of the date of receipt of pension papers from the Head of Office.

(c) The Accounts Officer shall indicate in the Pension Payment Order, the name of the spouse of the railway servant, if alive, as family pensioner.

(d) The Accounts Officer shall also indicate in the Pension Payment Order, the names of the permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings as family pensioners if there is no other member of family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.

(e) On receipt of a written communication from the Head of Office on an application from an existing pensioner or family pensioner, the Accounts Officer shall also indicate in the Pension Payment Order, the names of the permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings as family pensioners if there is no other member of family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.

(f) The Pension Disbursing Authority shall authorize family pension to the members of family referred to in clause (c), (d) or clause (e) in accordance with the provisions of rule 100 in the order indicated in rule 75.;

(o) In the said rules, in rule 84, in the proviso, for the words "not exceeding two hundred and fifty rupees per mensem (inclusive of the amount of relief on pension)", the words "not exceeding three thousand five hundred exclusive of the amount of relief on pension" shall be substituted;

(p) in the said rules, in rule 87, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) In all cases where the payment of gratuity has been authorised later than the date when its payment becomes due, including the cases of retirement otherwise than on superannuation, and it is clearly established that the delay in payment was attributable to administrative reasons or lapses, interest shall be paid at the rate applicable to State Railway Provident Fund amount in accordance with the instructions issued from time to time:

Provided that the delay in payment was not caused on account of failure on the part of the railway servant to comply with the procedure laid down by the Government for processing his pension papers.";

(ii) in sub-rule (2), for the words "administrative lapse", the words "administrative reasons or lapse" shall be substituted;

(iii) In sub-rule (3), after the words "payment of gratuity", the words "on account of administrative lapses." shall be inserted;

(q) in the said rules, in rule 90, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1-A) The question whether the revision has become necessary on account of a clerical error or not shall be decided by the Railway Board.";

(r) In the said rules, in rule 92, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) Where the family of the deceased railway servant is eligible under rule 75 for family pension, the Head of Office shall address the eligible member of the family or the guardian, as the case may be, in Form 14 for making claim in Form 10.;

(4) if on the date of death, a railway servant was an allottee of Government or railway accommodation, the head of office shall address the Directorate of Estates or railway administration, as the case may be, for the issue of 'No Demand Certificate' in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 98";

(s) in the said rules, in rule 95,-

(i) for the words and figures "items 20, 21, 22, 23 and 24" wherever they occur, the words and figures "items 14, 21 and 22" shall be substituted;

(ii) sub-rule (3) shall be omitted;



- (t) in the said rules, in rule 96, in sub-rule (5); if the proviso, for the words and brackets "two hundred and fifty rupees (inclusive of relief on family pension)", the words "three thousand five hundred rupees and admissible dearness relief" shall be substituted;
- (u) in the said rules, in rule 97, -
- (i) in the marginal heading, for the words "final pension", the words "final family pension" shall be substituted;
- (ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-  
"(2-A) The Accounts Officer shall, while authorizing the family pension for the first eligible member of the family, indicate the names of the permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings as family pensioners in the Pension Payment Order, if there is no other member of family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.";
- (iii) sub-rule (5) shall be omitted;
- (v) in the said rules, in rule 98, in sub-rule (1), -
- (i) in clause (l), in sub-clause (g), for the words "the permissible period of four months from the date of death of the railway servant", the words "the permissible period thereafter," shall be substituted;
- (ii) after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:-  
"(ix) Any amount of license fee or damages, remaining unpaid after adjustment from the withheld amount of gratuity, may be ordered to be recovered by the Head of Office through the Accounts Officer concerned from the dearness relief without the consent of the family pensioner and in such cases no dearness relief shall be disbursed until full recovery of such dues has been made.";
- (w) in the said rules, for rule 100, the following rule shall be substituted, namely:-  
"100. Sanction of family pension and residuary gratuity on the death of a pensioner or family pensioner. - (1) Where the Head of Office has received an intimation regarding the death of a pensioner or death or ineligibility of a family pensioner, he shall ascertain whether any pension or residuary gratuity or both in respect of the deceased pensioner and any family pension in respect of the family pensioner are payable and proceed as hereinafter provided.
- (2)(a)(i) If the deceased pensioner is survived by a widow or widower who is eligible for the grant of family pension under rule 75, the amount of family pension as indicated in the Pension Payment Order shall become payable to the widow or widower, as the case may be, from the day following the date of death of the pensioner.

- (ii) The Pension Disbursing Authority shall, on receipt of a claim in Form 10 from the widow or widower, authorise the payment of family pension to the widow or widower, as the case may be:  
Provided that no claim in Form 10 shall be required if the widow or widower was holding a joint account with the pensioner in which pension was being credited.
  - (iii) The Pension Disbursing Authority shall authorise payment of family pension to the widow or widower, who is not required to submit Form 10, on receipt of information in writing of the death of the pensioner:  
Provided that such widow or widower shall submit a copy of death certificate to the Pension Disbursing Authority and an undertaking to the effect that any amount to which he or she is not entitled to or any amount which may be credited to his or her account in excess of the amount to which he or she is entitled would be refunded or made good.
  - (iv) Subject to the provisions of clause (b), if the deceased pensioner is survived by a permanently disabled child or children or dependent parents or disabled siblings whose names have been included in the Pension Payment Order as family pensioners under clause (d) of sub-rule (1) of rule 85, the Pension Disbursing Authority shall, on receipt of a claim in Form 10, authorise payment of family pension to the member of family who is eligible to receive family pension in accordance with the provisions of rule 75.
  - (v) Where the deceased pensioner is survived by spouse and permanently disabled children or dependent parents or disabled siblings, whose names had not been included in the Pension Payment Order previously, the Accounts Officer shall include their names in the Pension Payment Order on receipt of a written communication from the Head of Office.
  - (vi) The Pension Disbursing Authority shall, on death or ineligibility of the family pensioner and on receipt of a claim in Form 10, authorise payment of family pension to a permanently disabled child or dependent parent or disabled sibling whose name has been included in the Pension Payment Order as family pensioner and who is eligible to receive family pension in accordance with the provisions of rule 75.
- (b)(i) Where the Pension Payment Order does not include name of any member of the family or where the Head of Office is of the opinion that in accordance with the provisions of rule 75, the family pension in respect of the deceased pensioner or family pensioner has become payable to a member of the family other than those whose names have been included in the Pension Payment Order under sub-rule (1) of rule 85 or sub-clause (i) or sub-clause (iv) of clause (a), including a person who became member of the family of the pensioner after the retirement, he shall, on receipt of a claim in Form 10, sanction the family pension in Form 18 or Form 19, as the case may be, to such member of family to whom family pension has become payable.

- (ii) If family pension is sanctioned under sub-clause (i), the Head of Office shall include the names of any permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings as family pensioners if there is no other member of the family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.
- (3) (i) Where a widow or widower in receipt of family pension remarries and has, at the time of remarriage, child or children from the deceased railway servant or pensioner who is or are eligible for family pension, the remarried individual shall be eligible to draw the family pension on behalf of such child or children if such individual continues to be the guardian of such child or children.
    - (ii) For the purposes of clause (i), the remarried individuals shall apply to the Head of Office in Form 10, along with a declaration that the applicant continues to be the guardian of such child or children.
    - (iii) If the remarried individual has, for any reason, ceased to be the guardian of such child or children, the family pension shall become payable to the person entitled to act as guardian of such child or children under any law for the time being in force and such person may submit a claim in Form 10 to the Head of Office for the payment of family pension.
  - (4) If the person eligible for family pension is a minor or is suffering from any disorder or disability of mind or is mentally retarded, the guardian may submit a claim in Form 10 on behalf of such person.
  - (5) Where on the death of a retired railway servant a residuary gratuity becomes payable to the family of the deceased under sub-rule (2) of rule 70, the Head of Office shall sanction its payment on receipt of a claim or claims in Form 20 from the person or persons eligible to receive the residuary gratuity.;

(x) (i) in the said rules, for Form 4, the following Form shall be substituted, namely:-

**"Form 4**

**Common Nomination Form for Gratuity, State Railway Provident Fund and Central Government Employees Group Insurance Scheme.**

[See rule 74 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, para 941 of Indian Railway Establishment Code Vol.I and Para 19.7 of Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980]

I, ..... hereby nominate the person or persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:-

- (i) any gratuity the payment of which may be authorized under rule 70 of Railway Services (Pension) Rules, 1993
- (ii) amount that may stand to my credit in the State Railway Provident Fund
- (iii) any amount that may be sanctioned by the Central Government under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relation-ship with employee/pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB, relationship and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/pensioner	Share to be paid to each	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor.	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and Date:

Signature of railway servant  
Telephone No.

**Note 1 :** Completely strike out the benefits for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i), (ii) and (iii) above.

**Note 2 :** The railway servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of Office or authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated .....under the following Rules: -

1. Railway Services (Pension) Rules, 1993 for Gratuity
2. Chapter 9, para 941 of Indian Railway Establishment Code Vol.I
3. Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980

made by Shri/Smt./Kumari.....

Designation.....

Office

(Strike out which nomination is not received)

Entry of receipt of nomination(s) has been made in page.....Volume.....of Service Book.  
Name, Signature and Designation of Head of Office or authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt.....

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the railway servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death. The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form.;

(ii) Form 5 shall be omitted;

(iii) for Form 6, Form 7, Form 8, Form 9, Form 10, Form 11, Form 12, Form 13, Form 14, Form 15, Form 16, Form 17, Form 18, Form 19 and Form 20, the following Forms shall respectively be substituted, namely:-

**"FORM 6**  
**[See rule 75(15)(a)]**  
**Details of Family**

1. Name of railway servant
2. Designation
3. Date of birth
4. Details of the members of family as on-----:

S. No	Names of the members of family	Date of birth	Relationship with the officer	Marital status	Remarks	Dated signature of Head of Office
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of the Office any addition or alteration.

Signature of railway servant

Place :

Date:

Note 1. -The original Form submitted by the railway servant is to be retained. All additions/alterations are to be recorded in this Form under the signature of Head of Office in Col 7. No new Form will substitute the original Form. However, the retiring railway servant should submit the details of family afresh along with Form 8.

Note 2. -The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family Pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.

Note 3. -The Head of Office shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks'

Note 4. -Wife and Husband shall include judicially separated wife and husband."

Form 7

[See rules 78, 80, 81 (1) & (3) and rule 85 (1)]

Form for assessing Pension/Family Pension and Gratuity

[To be sent six months before the Date of Retirement to the PAO]

1. Name of retiring railway employee ... ..
2. Father's or Husband's name ... ..
3. PAN No. ... ..
4. Height & Marks of identification ... ..
5. Date of Birth ... ..
6. Service to which he belongs (indicate the name of organized service, if any) ... ..
7. Particulars of post held at the time of retirement-
  - (a) Name of the office ... ..
  - (b) Post held ... ..
  - (c) Pay band and grade pay or pay scale of the post ... ..
  - (d) Basic pay or pay in the pay band and grade pay ... ..
  - (e) Whether the appointment mentioned above was under Government or outside the Government on foreign services terms ... ..
  - (f) If on foreign service, scale of pay or pay band, pay in pay band and grade pay of the post in the parent department ... ..
8. Whether declared substantive in any post under the Railways ... ..
9. Date of beginning of services ... ..
10. Date of ending of service ... ..
11. Cause of ending of services (please tick one)-
  - (a) Superannuation (Rule 51) ... ..
  - (b) Voluntary/premature retirement at the initiative of the Government servant [Under rule 66 & 67 of Railway Services (Pension) Rules, 1993 and 1802 (b) (i) of IREC Vol. II (1987 Edition) ] ... ..
  - (c) Premature retirement at the initiative of the Government [rule 66 of Railway Services (Pension) Rules, 1993 or 1802 (a) of IREC Vol. II (1987 Edition) ] ... ..
  - (d) Permanent absorption in public sector undertaking or autonomous body (rule 53, 53-A/53-B) ... ..
  - (e) Invalidation on medical ground (rule 55) ... ..
  - (f) Due to abolition of post (rule 63) ... ..
  - (g) Compulsory retirement (rule 64) ... ..
  - (h) Removal or dismissal from services (rules 40 and 65) ... ..
  - (i) Death ... ..
12. In the case of compulsory retirement, the orders of the competent authority whether pension may be allowed at full rates or at reduced rates and in the case of reduced rates, the percentage at which it is to be allowed (Please see Rule 64) ... ..
13. In case of removal/dismissal from services whether orders of competent authority have been obtained for grant of compassionate allowance and if so, at what rate (Please see rule 65) ... ..
14. Particulars relating to military service, if any- ... ..

- (a) Period of military service ... ..
- (b) Terminal benefits drawn or being drawn for military service ... ..
- (c) Whether opted for counting of military service towards Railway pension (rule 34) ... ..
- (d) If answer to (c) above is in affirmative, whether the terminal benefits have been refunded ... ..
- 15. Particulars relating to services in autonomous body or State Government, if any- ... ..
- (a) Particulars of services :

Name of Organization	Post held	Period of service		
		From	To	Period

- (b) Whether the above services is to be counted for pension in the railway
- (c) Whether the autonomous organization has discharged its pensionary liability to the railways
- 16. Whether any departmental or judicial proceedings in terms of rule 9 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993 are pending against the retiring employee, (If yes, in terms of Rule 10, provisional pension will be admissible and gratuity will be withheld till the conclusion of departmental or judicial proceedings and issue of final orders) ... ..
- 17. Qualifying service-
  - (a) Details of omission, imperfection or deficiencies in the Service book which have been ignored [under rule 79 (1) (b) (ii)] ... ..
  - (b) Period not counting as qualifying service -
    - (i) Boy service (2<sup>nd</sup> proviso to rule 20) ... ..
    - (ii) Extraordinary leave not counting as qualifying service (rule 36) ... ..
    - (iii) Periods of suspension not treated as qualifying service (rule 37) ... ..
    - (iv) Interruption in service [rule 42 (1) (b) and rule 43 (c)] ... ..
    - (v) Periods of foreign service with United Nations bodies for which United Nations pension has been availed (rule 48) ... ..
    - (vi) Any other period not treated as qualifying service (give details) ... ..
  - (c) Additions to qualifying service-
    - (i) Civil (including Railway) service (rule 33) ... ..
    - (ii) Military service (rule 34) ... ..
    - (iii) Benefit of service in an autonomous body ... ..
  - (d) Net qualifying service
  - (e) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods (Period of three months and above is to be treated as completed six monthly period (rule 69) ... ..



18. **Emoluments -**
- (a) Emoluments in terms of rule 49
  - (b) Emoluments drawn during 12 months preceding retirement-

From	To	Rate of Pay (including NPA)	Amount

**Note :** If the officer was on foreign service immediately preceding retirement, the notional emoluments which he would have drawn under Government but the being on foreign service may be mentioned in items (a) and (b) above ( Note 8 below rule 49)

- (c) Average emoluments (rule 50)
- (d) Emoluments or average emoluments (whichever is higher) to be reckoned for pension (rule 69)
- (e) Emoluments reckoned for retirement gratuity or death gratuity (rule 70)
- (f) Pay reckoned for family pension (rule 75)

19. **Amount of retirement gratuity/death gratuity (rule 70)**  
(Refer S. No. 9 of Calculation Sheet)

20. **Details of Government dues recoverable out of gratuity -**
- (a) License fee for Government accommodation  
[See sub - rules 2, 3 and 4 of rule 16]
  - (b) Dues referred to in rule 15
  - (c) Amount indicated by Directorate of Estates to be withheld under sub-rule (5) of rule 16

- 21.
- (a) Proposed pension or service gratuity (rule 69)
  - (b) Proposed dearness relief on pension (as on the date of retirement)
  - (c) Date from which pension is to commence (rule 102)

22. **Rate of family pension -**
- (a) Enhanced rate [rule 75 (4)]
  - (b) Period for which family pension will be payable at the enhanced rate
  - (c) Ordinary rate [ rule 75 (2)]
  - (d) Date from which ordinary rate of family pension will be payable

- |     |  |       |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|
| 23. | Commutation of pension -   |       |       |       |
|     | (a) Whether simultaneously applied for commutation of pension with the pension application (applicable only in the case of those who retire on superannuation pension) | ...   | ...   | ...   |
|     | (b) The percentage of pension commuted   | ...   | ...   | ...   |
|     | (c) Amount of monthly pension commuted   | ...   | ...   | ...   |
|     | (d) Commuted value of pension  | ...   | ...   | ...   |
|     | (e) Amount of residuary pension after deducting commuted portion   | ...   | ...   | ...   |
|     | (f) Date from which reduced pension is payable   | ...   | ...   | ...   |
|     | (g) Date from which commuted pension is to be restored   | ...   | ...   | ...   |
| 24. | Post-retirement address of the retiree   | ..... | ..... | ..... |
| 25. | e-mail ID, if any  | ...   | ..... | ..... |
| 26. | Mobile number, if any  | ...   | ..... | ..... |

Signature of the  
Head of Office

**FORM 7**

**CHECK LIST FOR HEAD OF OFFICE FOR TIMELY PROCESSING OF RETIREMENT DUES**

1.	Whether retiring employee is an allottee of Government or railway accommodation	
2.	If retiring employee is not an allottee of Government or railway accommodation, date on which 'No demand certificate' issued by the office	
3.	The date on which action initiated to obtain the 'No demand certificate' from the Directorate of Estates as provided in rule 77-	
4.	Date of receipt of 'No demand certificate' from Directorate of Estates	
5.	Date on which intimation regarding any recovery or withholding of amount from gratuity received from Directorate of Estates	
6.	Date on which action initiated to assess the service and emoluments qualifying for pension as provided in rule 79	
7.	Date on which action initiated to assess the Government dues other than the dues relating to allotment of Government accommodation as provided in rule 15 (1)	
8.	Date on which the retiring railway servant was furnished blank Form 8 along with a certificate regarding the length of qualifying service and the emoluments or average emoluments proposed to be reckoned for retirement gratuity and pension	
9.	Whether any objection received from the employee on the above certificate	
10.	Date on which the employee submitted his application for pension in Form 8	
11.	Whether nominations made in Common Nomination Forms for (i) Death gratuity/retirement gratuity (ii) payment under CGEGIS (iii) amount of SRPF, if applicable (iv) Arrears of pension (v) Commuted value of pension (if applicable)	
12.	Whether Details of Family in Form 8 attached	
13.	Whether Medical certificate of incapacity (for invalid pension) attached	
14.	Whether statement of savings affected and the reasons why employment could not be found elsewhere attached (if claim is for compensation pension or gratuity).	
15.	Whether a statement indicating the reasons for delay in case the pension papers are not forwarded before six months of the retirement of railway servant attached.	
16.	Whether brief statement leading to reinstatement of the railway servant attached (In case the railway servant has been reinstated after having been suspended, compulsorily retired, removed or dismissed from service.)	

**PART II**

1. Date of receipt of pension papers by the Accounts Officer from Head of Office .....
2. Entitlements admitted - .....
- (a) Length of qualifying service .....
- (b) Pension - .....
- (i) Class of pension .....
- (ii) Amount of monthly pension .....
- (iii) Date of commencement .....
- (c) Commutation of Pension .....
- (i) Portion of Pension commuted, if any .....
- (ii) Commuted value of portion of pension commuted, if any .....
- (iii) Residuary pension after commutation .....
- (iv) Date from which reduced pension is payable .....
- (v) Date of restoration of commuted portion of pension subject to the pensioner continuing to live .....
- (d) Retirement/Death Gratuity - .....
- (i) Total amount of gratuity .....
- (ii) Amount to be adjusted towards arrears of license fee for Government accommodation and license fee for retention of Government accommodation beyond retirement [(rule 16(1) and 16 (4)] Amount intimated by Directorate of Estate for being withheld .....
- (iii) On account of un-assessed license fee (rule 16 (5)) .....
- (iv) Amount to be adjusted towards Government dues other than those pertaining to Government accommodation (rule 15 (3) (b)) .....
- (v) Net amount to be released immediately .....
- (e) Family Pension - .....
- (i) At enhanced rate .....
- (ii) Period for which Family Pension at enhanced rate is payable .....
- (iii) At normal rate .....
3. Head of Account to which the amount of pension, retirement or death gratuity and family pension are to be debited .....

Accounts Officer

**PENSION CALCULATION SHEET**

1. Name .....
2. Designation .....
3. Pay band and grade pay or pay scale .....
4. Date of Birth .....
5. Date of entry in the railway service .....
6. Date of retirement .....
7. Length of qualifying service reckoned for pension or gratuity (as indicated in PPO) .....
8. Emoluments drawn during the last ten months .....
9. (1) Emoluments or average emoluments whichever is more beneficial for pension (as indicated in PPO) .....
- (2) Pension admissible (if qualifying service is ten years or more) .....
- Calculations to be shown as follows :-  
    emoluments or average emoluments/2 .....
10. (1) Emoluments for gratuity (as Indicated in PPO) .....
- (2) Retirement gratuity admissible .....
- Calculation is to be shown as follows :- .....

Emoluments/4xQualifying service (in completed six monthly period, not exceeding 66)

11. (1) Pay for family pension (as indicated in PPO)  
(2) Family pension admissible

Calculations to be shown as follows :-

- (a) Ordinary Family pension :-  
Pay x 30% subject to prescribed minimum and maximum  
(b) Enhanced Family Pension :  
Pay + 2  
[Subject to prescribed minimum and maximum as per Rule 75].

Head of Office

Countersigned by PAO

Copy to:- Shri/Smt./Kumari.....,retiring railway servant

**Form 8**

**[See Rule 79 (1) (c) and 81 (1)]**

**[Also see rules 6(2), 13, 14(3), 15(1) and 18 (3) of Railway Services (commutation of Pension) Rules, 1993]**

Particulars to be obtained by the Head of Office from the retiring railway servant six months before the date of his retirement

1. Name
2. (a) Permanent Account Number for Income Tax (PAN)  
(b) Aadhaar No., if available
3. Specify a few marks of identification, not less than two if possible
  - (i)
  - (ii)
4. Height
5. Address after retirement/permanent address for future correspondence:
6. Bank Account No. to which pension is to be credited:  
(Joint Account, either or survivor, with the spouse)

(In case the Head of Office is satisfied that it is not possible for the retiring railway servant to open a joint account for reason beyond his control, this requirement may be relaxed).

7. Name of the branch of the Bank through which the pension is to be drawn
  - (a) BSR code of the branch
  - (b) IFSC code of the branch
8. Indicate whether family pension is also admissible from any other source- Military or State Government or a public sector undertaking or autonomous body or local fund under the Central or a State Government -

9. I desire to commute .....%(up to 40%) of my superannuation pension in accordance with the provisions of the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

I am aware that future good conduct of the pensioner or family pensioner shall be an implied condition for every grant of pension or family pension and its continuance.

Enclosure as per check-list are enclosed.

Place:  
Date:

Ministry/Department/office:

Signature

Designation:

Mobile No.:  
Email ID:

**Note 1:** Commutation of pension is optional. Item 9 may be struck off if the retiring railway servant does not desire to commute a percentage of pension.

**Note 2:** A separate application for commutation of superannuation pension in Form 2 of Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993 is required to be submitted in case the retiring railway servant desires to apply for Commutation of Pension after submission of this form but three months before retirement.

**Note 3:** It is in the interest of the railway servant to provide e-mail ID and mobile number, which facilitates future correspondence.

**Check list of Documents to be submitted along with Form 8**

S.No.	Description of documents to be enclosed	Whether enclosed
1.(a)	Two specimen signatures (to be furnished in a separate sheet)	
(b)	Additional information only in case of an illiterate or disabled railway servant):- Two slips each bearing the left hand thumb and finger impressions duly attested may be furnished by a person who is not literate and cannot sign his name. If such a railway servant on account of physical disability is unable to give left hand thumb and finger impression he may give thumb and finger impressions of right hand. Where a railway servant has lost both the hands, he may give his toe impressions. Impressions should be duly attested by a Gazetted Government servant.	
2.	Three copies of passport size joint photograph with wife or husband. Where it is not possible for a railway servant to submit a photograph with his wife or her husband, he or she may submit separate photographs. The photographs shall be attested by the Head of Office. Three copies of passport size photograph of disabled child/siblings/dependent parents, if applicable. (To be attested by the head of Office)	
3.	Details of the family in Form 6.	
4.	Written statement for counting of period of service under rule 79(1) (a), if any.	
5.	Undertaking for refunding any excess payment made by the pension disbursing Bank.	
6.	Nomination for gratuity, CGEGIS and SRPF in Common Nomination Form.	
7.	Nomination for arrears of pension and commuted value of pension (if applied for commutation of pension) in Common Nomination Form.	
8.	Form for submitting details under Anubhav (optional)	

**FORM 9**  
**[See rule 81 (1)]**

[Form of letter to the Accounts Officer forwarding the pension papers of a railway servant]

No.....  
Office of .....  
Station.....  
Dated .....

To

The Financial Adviser and  
Chief Accounts Officer/  
The Pay and Accounts Officer

Subject:-- Pension papers of Shri/Smt./Kumari ..... for authorization of pension.

Sir,

I am directed to forward herewith the pension papers of Shri/Smt./Kumari ..... of this Ministry/Department/office for further necessary action.

2. The details of Government (including Railway) dues which will remain outstanding on the date of retirement of the railway servant and which need to be recovered out of the amount of retirement gratuity are indicated below—

(a) Balance of the house-building or conveyance advance	Rs.
(b) Overpayment of pay and allowances including leave salary	Rs.
(c) Income Tax deductible at source under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)	Rs.
(d) Arrears of license fee for occupation of Government or railway accommodation	Rs.
(e) The amount of license fee for retention of Government or railway accommodation for the permissible period beyond the date of retirement	Rs.
(f) Amount to be withheld as per intimation of the Directorate of Estates under rule 16 (5), if any	Rs.
(g) Any other assessed dues and the nature thereof	Rs.



3. Your attention is invited to the enclosure forwarded herewith.
4. The receipt of this letter may be acknowledged and this Ministry/Department/Office informed that necessary instructions for the disbursement of pension have been issued to disbursing authority concerned, under intimation to the retiring railway servant/pensioner.
5. The death-cum-retirement gratuity will be drawn and disbursed by this Ministry/Department/Office on receipt of authority from you. The outstanding Government or Railway dues as mentioned in paragraph 2 will also be recovered out of the retirement gratuity before making payment.

Yours faithfully,

Head of Office

**List of enclosure**

- (1) Form 7 and Form 8 duly completed, along with enclosures and checklists.
- (2) Service Book (date of retirement to be indicated in the service book).

**NOTES**

1. When initials or name of the railway servant is incorrectly given in the various records consulted this fact should be mentioned in the letter.
2. If a railway servant is compulsorily retired from service and delay is anticipated in obtaining Form 8 from the railway servant, the Head of Office may forward the pension papers to the Accounts Officer without Form 8. The Form 8 may be sent as soon as it is obtained from the railway servant.

**FORM 10**

[See rules 92 (3) and 100 (2)]

Form of application for family pension on death of a railway servant or pensioner or on death or ineligibility of a family pensioner

- 1 (i) Name of the railway servant in respect of whom family pension is being claimed
- (ii) Office/Department/Ministry served last
- (iii) Date of retirement of railway servant
- (iv) Date of death of railway servant/pensioner/family pensioner
- (v) PPO No. of railway servant/pensioner/family pensioner

2. Name and other details of claimant--

Name	Date of birth	Relationship with the deceased railway servant	Postal Address

3. In case the claimant is minor or suffering from disorder or disability of mind, including mental retardation, details of guardian/nominee, wherever applicable--

Name	Date of birth	Relationship with the minor/mentally disabled claimant	Relationship with the deceased railway servant	Postal Address

4. Details of surviving widow/widower, children, dependent parents and disabled siblings of the deceased railway servant/ pensioner are enclosed in Form 6.

5. Account No., name and BSR code of Branch of Bank to which family pension is to be credited:

6. Other source of family pension - Military or state Government and/or a Public sector Undertaking/Autonomous body/Local Fund under the Central or a State Government, if any--

I am aware that future good conduct of the claimant/family pensioner shall be an implied condition for every grant of family pension and its continuance.

Encl: As per the check-list.

Signature or left hand thumb impression of the claimant/guardian

Mobile/Telephone No.....

Permanent Account Number for Income Tax (PAN).....

Aadhar No., if available.....

Signatures of Two Witnesses with names and full addresses:

(i)

(ii)

Note: Form 10 is not to be filled if the spouse had a joint account with the deceased pensioner. In such cases, family pension shall be allowed by the Pension Disbursing authority on the basis of an application on plain paper. The permanently disabled children/siblings and dependent parents to whom family

pension has been authorized in the PPO of the pensioner will submit this Form to the Pension Disbursing Authority.

**Check list of Documents to be submitted with Form 10**

1.	Two specimen signatures of claimant (to be furnished in a separate sheet) duly attested by a Gazetted government servant.  (Two slips each bearing left hand thumb and finger impressions duly attested may be furnished by a person who is not literate to sign his name. If such person on account of physical disability is unable to give left hand thumb and finger impressions he/she may give thumb and finger impressions of the right hand. Where a railway servant has lost both the hands, he/she may give toe impressions. Impressions should be duly attested by a Gazetted government servant.)	
2.	Two copies of passport size photographs of the claimant, duly attested.	
3.	Two slips showing the particulars of height and personal identification marks duly attested by a Gazetted government servant.	
4.	Details of the family in Form 6.	
5.	Certificate(s) of age showing the dates of birth of the children. The certificate should be from the Municipal authorities or from the local panchayat or from the head of a recognized school or Central/State Board of Education.	
6.	Undertaking for refunding any excess payment made by the pension disbursing Bank.	
7.	Specimen signature or left hand thumb and finger impressions of guardian duly attested, in the case of the guardian who is not literate enough to sign his or her name.	
8.	Two attested copies of passport size photograph of the guardian/nominee	
9.	Descriptive roll of the guardian/nominee, showing the particulars of height and identification marks, duly attested.	
10.	Copy of PPO of previous pensioner/family pensioner	
11.	Proof of permanent address of the guardian.	
12.	Copy of the death certificate of the deceased employee or pensioner/previous family pensioner, if applicable	
13.	Copy of document regarding ineligibility of previous family pensioner, if applicable.	

**FORM 11**  
**[See rule 92 (2)]**

**Form of letter to the nominee of a deceased railway servant where valid nomination for the grant of the death gratuity exists**

No.....

Office of .....  
Station.....  
Dated .....

To

.....  
.....  
.....

**Subject:— Payment of death gratuity in respect of the late Shri/Smt./Kumari.....**

Sir/Madam,

I am directed to state that in terms of the nomination made by the late Shri/Smt..... (Name & Designation) in the Office/Department/Ministry of..... a death gratuity is payable to his/her nominee(s). A copy of the said nomination is enclosed herewith.

2 I am to request that a claim for the grant of the gratuity may be submitted by you in the enclosed Form 13.

3. Should any contingency have happened since the date of making the nomination, so as to render the nomination invalid, in whole or in part, precise details of the contingency may kindly be stated.

Yours faithfully,

Head of Office

**FORM 12**  
**[Scheme-92 (2)]**

**Form of letter to the member or members of the family of a deceased railway servant where valid nomination for the grant of the death gratuity does not exist**

No.....  
Office of.....  
Station.....  
Dated .....

To  
.....  
.....  
.....

**Subject:--** Payment of death gratuity in respect of the late Shri/Smt./Kumari.....

Sir/Madam,

I am directed to say that in terms of rules 70 and 71 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, a death gratuity is payable to the following members of the family of late Shri/Smt./Kumari.....(Name and Designation), in the Office/Department/Ministry of.....in equal shares :-

- (i) Wife/husband including judicially separated wife/husband.
- (ii) Sons }
- (iii) Unmarried daughters {including step children and adopted children.
- (iv) Widowed daughters }

2 In the event of there being no surviving member of the family as indicated above, the gratuity will be payable to the following members of the family in equal shares :-

- (i) Father}
- (ii) Mother} including adoptive parents in case of individuals whose personal law permits adoption;
- (iii) Brothers below the age of eighteen years and unmarried and widowed sisters including step brothers and step sisters;
- (iv) Married daughters; and
- (v) Children of a pre-deceased son.

3. It is requested that a claim for the payment of gratuity may be submitted in the enclosed Form 13 as soon as possible.

Yours faithfully,  
Head of Office

**FORM 13**

**[See rule 92 (2)]**

**Form of application for the grant of death gratuity on the death of a Railway servant**

(To be filled in separately by each claimant and in case the claimant is minor, the form should be filled in by the guardian on his/her behalf. Where there are more than one minor and one guardian for all of them, the guardian should claim gratuity in one Form on their behalf)

1. (i) Name of deceased railway servant in respect of whom gratuity is being claimed  
(ii) Date of death of railway servant  
(iii) Office/Department/Ministry in which the deceased served last

2. Name and other details of claimant(s)-

Serial No.	Name	Date of birth	Relationship with the deceased railway servant	Postal Address

3. In case the claimant (s) is/are minor, details of guardian-

Name	Date of Birth	Relationship with the minor	Relationship with deceased railway servant	Postal Address

Details of Bank with Account No.,

4. IFSC Code for e-Payment/ECS

Signature/Thumb-impression of the claimant/guardian

Enclosure:

- (I) Death Certificate,
- (II) Date of Birth Certificate, (in case of minors)
- (III) Specimen signature/left hand thumb and finger impressions of the claimant/guardian.

**FORM 14**  
**[See rule 92 (3)]**

**(Form of letter to family member of a deceased Railway servant for grant of Family pension)**

No.....  
Office of.....  
Station.....  
Dated .....

To  
.....  
.....  
.....

**Subject:- Payment of Family Pension in respect of late Shri/Smt.....**

**Sir/Madam,**

I am directed to state that in terms of rule 75 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, a family pension is payable to you in respect of late Shri/Smt.....  
(Name and Designation) in the Office/Department/Ministry of.....

2. You are advised that a claim for grant of Family Pension may be submitted in the enclosed Form 10.
3. In the event of death or ineligibility after re-marriage of the widow/widower, the Family Pension shall be granted to the eligible child or children, dependent parents or disabled siblings, if any, as per the provisions of rule 75 of Railway Services (Pension) Rules 1993.
4. In the case of childless widow, the family pension shall be payable even after re-marriage subject to the condition that her earning is less than or equal to the sum of minimum family pension under the Railway Services (Pension) Rules, 1993 and Dearness Relief on it.

Yours faithfully,

Head of Office

**Form 16**  
**[See rule 47]**  
**Form of certificate of verification of service for pension**

No.....  
Government of India  
Ministry of.....  
Date.....

**Certificate**

It is certified, in consultation with the Accounts Officer, that Shri/Smt./Km ..... (Name and Designation) has completed a qualifying service of ..... Years ..... months., .....days as on .....(date), as per details given below. The service has been verified on the basis of his service documents and in accordance with the rule regarding qualifying service in force at present. The verification of service under sub-rules (1) and (2) of rule 47 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, shall be treated as final and shall not be reopened except when necessitated by a subsequent change in the rules in the rules and orders governing the conditions under which the service qualifies for pension.

**DETAILS OF QUALIFYING SERVICE**

S. No.	Name of Ministry/Department/Office	From	To	Length of qualifying service
1.				
2.				
3.				

Signature & Stamp of Head of Office

To  
Shri.....  
(Name & Designation)



**FORM 16**

[See rules 93(1), 95(1), 96(5) and 97(1)]

**Form for assessing and authorizing the payment of family pension and death gratuity when a railway servant dies while in service**

**PART I  
Section I**

1. Name of the deceased railway servant...
2. Father's name...
3. Husband's name in the case of female railway servant...
4. Date of birth (by Christian era) ...
5. Date of death (by Christian era) ...
6. Religion...
7. Particulars of post held at the time of death
  - (a) Name of the office
  - (b) Post held substantively:
  - (c) Officiating post:
  - (d) Scale of pay/Pay Band & Grade Pay
  - (e) Basic Pay/Pay in Pay Band & Grand Pay
  - (f) Whether the last post held was under the railway or outside the railway on foreign service terms
  - (g) if on foreign service, scale of pay/pay band, pay in the band and grade pay of the post in the parent department
8. Date of beginning of service...
9. (i) Total period of military service, if any, for which pension and/or gratuity was sanctioned:  
(ii) Amount and nature of any pension/gratuity received for the military service
10. Particulars relating to service in autonomous body/State Government, if any-  
(a) Particulars of service :

Name of organization	Post held	Period of service		
		From	To	Period

- (b) Whether the above service is to be Counted for gratuity in the Government ... ..
- (c) Whether the autonomous organization Has discharged its pensionary liability to the Railways ... ..
11. Amount and nature of any pension/gratuity received for Previous civil service, if any
12. Service qualifying for death gratuity—  
(a) Details of omission, imperfection or deficiencies in the Service Book which have been ignored [under rule 79 (1) (b) (ii)]:-
- (b) Periods of non-qualifying service --
 

	From	To
(i) Interruption in service condoned under rules 42 & 43		
(ii) Extraordinary leave not qualifying for gratuity		

- (iii) Period of suspension treated as non-qualifying
- (iv) Boy service (2<sup>nd</sup> proviso to rule 20)
- (v) Periods of foreign service with United Nations bodies for which United Nations pension has been availed (Rule 46)
- (vi) Any other service not treated as qualifying service

**Total period of non-qualifying service**

- (c) Additions to qualifying service -
  - (i) Civil (including railway) service (Rule 33)
  - (ii) Military service (Rule 34)
  - (iii) Benefit of service in an autonomous body
- (d) **Total period of qualifying service**  
Net qualifying service
- (e) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods (Period of three months & above to be treated as completed six monthly period) (Rule 69)

- 13. (a) Emoluments reckoning for death gratuity
- (b) Amount of death gratuity ...

**14. Details of Government or railway dues recoverable out of death gratuity -**

- (i) License fee for occupation of Government or railway accommodation.
- (ii) Amount to be withheld as indicated by the Directorate of Estates/Engineering Department
- (iii) Dues referred to in rule 98(2)...

**15. Net amount payable as death gratuity**

**16. Details of the nominee(s) to whom death gratuity is payable**

S.No	Name	Share in death gratuity	Date of birth	Address	Relationship with deceased railway servant

**17. Details of guardian/nominee who will receive payment of death gratuity in the case of minor/mentally disabled children**

S. No.	Name of minor/mentally disabled child	Name of guardian	Address of Guardian	Relationship of guardian with deceased railway servant

**18. The date on which intimation regarding the death of railway servant was received by the Head of Office**

19. The date on which action initiated to -

- (i) obtain claim or claims from the claimants in the appropriate form for death gratuity and family pension as provided in rule 92:
- (ii) obtain the 'No demand certificate' from the Directorate of estates as provided in rule 96 (1):
- (iii) assess the Government or railway dues other than the dues pertaining to occupation of Government or railway accommodation
- (iv) assess the service and emoluments qualifying for death gratuity and family pension as provided in rules 93 and 94.

20. Details of payment of Family Pension -

Rate of family pension	Amount of family pension	Period for which it is payable	
		From	To
Enhanced rate (if service rendered at the time of death is more than seven years as in rule 75 (4))			
Ordinary rate			
Additional family pension as on date, to old family pensioner. If any, under rule 75 (3A)			

21. Persons to whom family pension is payable -

- (i) Name ...
- (ii) Relationship with the deceased railway servant ...
- (iii) Full postal address ...

22. Details of guardian who will receive payment of family pension in the case of minor/mentally disabled children

S. No.	Name of minor/mentally disabled child	Name of guardian	Address of guardian	Relationship of guardian with deceased railway servant

23. Head of Account to which death gratuity and family pension are debitable.

Place  
Dated the .....

Signature of  
Head of Office

Section II

Details of provisional family pension and gratuity to be drawn and disbursed by the Head of Office in accordance with rule 96

Provisional family pension ..... Rs..... p.m

Death Gratuity [amount mentioned in item 13(b) of section I] ..... Rs.....

Less

(a) License fee recoverable from gratuity for occupation of Government or railway accommodation [as in Item 14(i) of Section I] ..... Rs.....

(b) Amount of gratuity to be held over pending receipt of information from the Directorate of Estates/Engineering Department [as the item 14(ii) of section I] ..... Rs.....

(c) Other Government dues as mentioned in item 14 (iii) of section I ..... Rs.....

(d) Total of (a), (b) and (c) ..... Rs.....

Place

Dated, the

Signature of Head of Office

PART II
Account Enforcement
Section I

- 1. (i) Total period of qualifying service accepted for Death gratuity ...
(ii) Total period of continuous service accepted for Family Pension
2. Net amount of death gratuity after adjusting Government or railway dues
3. Amount and period of tenability of Family Pension -

Table with 3 columns: Rate of family pension, Amount of family pension, and Period for which it is payable (From, To). Rows include Enhancement rate, Ordinary rate, and Additional family pension.

- 4. Date from which family pension is admissible:
5. Head of Account to which death gratuity and family pension are debitible:

Section II

1. Name of the deceased railway servant...
2. Date of death of the railway servant...
3. Date on which pension papers received by the Accounts Officer...
4. Amount of family pension authorized...
5. Amount of gratuity authorized...
6. Date of commencement of family pension...
7. Date on which payment of family pension and gratuity authorized...
8. Amount recoverable from gratuity...
9. Amount of gratuity held over pending receipt of 'No demand certificate'...

Place  
Dated, the

Accounts Officer

**FORM 17**  
**(See rule 100)**

**Form of letter to the Accounts Officer forwarding papers for the grant of family pension and death gratuity to the family of a railway servant who dies while in service**

No.....  
Office of.....  
Station.....  
Dated .....

To  
Financial Adviser and Chief Accounts Officer/  
The Pay and Accounts Officer

.....  
.....

**Subject:- Grant of family pension and death gratuity.**

I am directed to say that Shri/Smt./Kumari.....(Name and designation) died on..... His family has become eligible for the grant of family pension and death gratuity. Form 16 duly completed is forwarded herewith for further necessary action.

2. Railway dues in respect of the deceased railway servant will be recovered out of the death gratuity as indicated in Section II of Part I of Form 16.
3. Your attention is invited to the enclosures forwarded herewith.
4. The receipt of this letter may be acknowledged and this Ministry/Department/Office informed that necessary instructions for the disbursement of family pension and death gratuity have been issued to the disbursing authority concerned, under intimation to family pensioner.

Yours faithfully

Head of Office

**List of enclosures**

1. Form 10 (along with check-list) and Form 16 duly completed.
2. Service book (date of death to be indicated in the service book)

**FORM 18**  
**[See rule 100(2)]**

**Form of letter sanctioning Family Pension to a member (other than spouse) on death of a retired railway servant**

No.....  
Office of.....  
Station.....  
Dated .....

To  
Financial Adviser and Chief  
Accounts Officer/ The Pay and Accounts Officer  
.....

**Subject:- Grant of family Pension to the child/children/dependent parents/dependent siblings.**

Sir/Madam,

I am directed to say that Shri/Smt. ....  
formerly..... (Designation) in this Ministry/Department was authorized pension of Rs  
..... with effect from ..... on his/her retirement from service.

2. Intimation has been received in this Ministry/Department/Office that Shri/Smt.....died  
on.....and at the time of death left no widow/widower but was survived by the following  
members of the family:-

S.No.	Name	Date of birth	Address	Relationship with deceased Pensioner	Whether suffering from any disability	Marital status

3. In terms of rule 75 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, the amount of Family Pension has become payable to Shri/Kumari/Smt..... The Family Pension will be payable, on behalf of the minor/mentally disabled child, to Shri/Smt.....who is the nominee/guardian.

4. Sanction for the grant of Family Pension of Re..... per month to Shri/Kumari/Smt..... is hereby accorded. The Family Pension will take effect from..... and will be tenable as per the provisions of sub-rule (6) of rule 75 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993.

5. The Family Pension is debitable to the Head.....

6. Your attention is invited to the enclosures forwarded herewith.

7. The receipt of this letter may be acknowledged and this Ministry/Department/Office informed that necessary instructions for the disbursement of family pension have been issued to the disbursing authority concerned, under intimation to family pensioner.

Yours faithfully,  
Head of Office

**List of enclosure-**

- 1. Forms 10 (along with check-list)

**FORM 19**  
**[See rule 100(2)]**  
**Form of letter sanctioning Family Pension to another member of family on death or Ineligibility of a recipient of Family Pension**

No.....  
Office of.....  
Station.....  
Dated .....

To  
  
Financial Adviser and Chief  
Accounts Officer/ The Pay and Accounts Officer

**Subject:- Grant of family Pension on death or Ineligibility of a recipient of Family Pension.**

Sir,  
I am directed to say that Shri/Smt. \_\_\_\_\_ (relationship) of late Shri/Smt. \_\_\_\_\_ formerly \_\_\_\_\_ (Designation) in this Ministry/Department/Office was authorized the payment of Family pension of Rs \_\_\_\_\_ with effect from \_\_\_\_\_ vide PPO No. \_\_\_\_\_

2. Intimation has been received in this Ministry/Department/Office that Shri/Smt/Km. \_\_\_\_\_ died/ceased to be eligible for family pension on account of \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_ (date).

3. There are following surviving members of family of the deceased railway servant/pensioner:-

S.No.	Name	Date of birth	Address	Relationship with deceased pensioner	Whether suffering from any disability	Marital status

4. In terms of rule 75 of the Railway services (Pension) Rules, 1993, the amount of Family Pension has become payable to Shri/Kumari/Smt. \_\_\_\_\_ The Family Pension will be payable, on behalf of the minor/mentally disabled child, to Shri/Smt. \_\_\_\_\_ who is the nominee/guardian.

5. Sanction for the grant of Family Pension of Rs \_\_\_\_\_ per month to Shri/Kumari/Smt. \_\_\_\_\_ is hereby accorded. The Family Pension will take effect from \_\_\_\_\_ and will be tenable as per the provisions of sub-rule (6) of rule 75 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993.

6. The Family Pension is debitable to the Head. \_\_\_\_\_

7. Your attention is invited to the enclosures forwarded herewith.

8. The receipt of this letter may be acknowledged and this Ministry/Department/Office informed that necessary instructions for the disbursement of family pension have been issued to the disbursing authority concerned, under intimation to family pensioner.

Yours faithfully,

Head of Office

**List of enclosures-**

1. Form 10 (along with check-list)



**Form 20**  
**[See rule 100(3)]**

**Form of application for the grant of Residuary Gratuity on the death of a pensioner**

(To be filled in separately by each claimant)

1. (i) Name of the pensioner in respect of whom residuary gratuity is being claimed  
(ii) Office/Department/Ministry served last  
(iii) Date of retirement of pensioner  
(iv) Date of death of pensioner  
(v) PPO No. of pensioner, if applicable

2. Name and other details of claimant(s)—

S. No	Name	Date of birth	Relationship with the deceased pensioner	Postal Address

3. In case the claimant(s) is are minor or suffering from disorder or disability of mind, including mental retardation, details of guardian—

Name	Date of birth	Relationship with minor	Relationship with the deceased pensioner	Postal Address

4. Account No., name and BSR code of the Branch of Bank to which amount is to be credited:
5. Amount of monthly pension (including ad-hoc increase, if any)/service gratuity sanctioned to deceased pensioner:
6. Amount of retirement gratuity received by the deceased pensioner:
7. The amount of pension (including ad-hoc increase, if any)/service gratuity drawn by the deceased till the date of death:
8. If the deceased had commuted a portion of pension before his death, the commuted value of the pension:
9. Total of items 6,7 and 8:
10. Amount of death gratuity equal to 12 times of the emoluments:

11. The amount of residuary gratuity claimed, i.e., the difference between the amount shown against items 10 and 9:

Encl: Specimen signature/thumb impression  
duly attested by a Gazetted railway servant

Signature or left hand thumb impression of the claimant/guardian  
Mobile/Telephone No.....  
Permanent Account Number for income tax .....  
Aadhar No., if available - .....

Signatures of two witnesses with names and full addresses:

(i)

(ii)

**Note 1:** If a retired railway servant in receipt of service gratuity or pension dies within five years from the date of his retirement from service including compulsory retirement as a penalty and the sums actually received by him at the time of his death on account of such gratuity or pension including ad-hoc increases, if any, together with the death-cum-retirement gratuity and the commuted value of any portion of pension commuted by him are less than the amount equal to 12 times of his emoluments, a residuary gratuity equal to the deficiency becomes payable to the family. When a railway servant has retired before earning a pension, the amount of service gratuity should be indicated.

**Note 2:** Two specimen signatures duly attested by a Gazetted railway servant (to be furnished in a separate sheet). Two slips each bearing the left hand thumb and finger impressions duly attested may be furnished by a person who is not literate to sign his name. If such a person on account of physical disability is unable to give left hand thumb and finger impressions, he/she may give thumb and finger impressions of the right hand. Where a railway servant has lost both the hands, he may give toe impressions. Impressions should be duly attested by a Gazetted railway servant."

(File No.2015/F(E)III/1(1)/4)



(TANVEER AHMED)  
Executive Director Finance(Estt.),  
Railway Board.

**Note-** The principal rules were published vide number S.O. 930 (E), dated the 3<sup>rd</sup> December, 1993 and subsequently amended vide the following notifications, namely:-

- (i) S.O. 511, dated the 25<sup>th</sup> February, 1993;
- (ii) S.O. 1028, dated the 15<sup>th</sup> April, 1993;
- (iii) S.O. 1653, dated the 16<sup>th</sup> July, 2000;
- (iv) S.O. 1634, dated the 15<sup>th</sup> July, 2000;
- (v) S.O. 1681, dated the 30<sup>th</sup> March, 2002;
- (vi) S.O. 1488 (E), dated the 30<sup>th</sup> December, 2003;
- (vii) S.O. 1214 (E), dated the 4<sup>th</sup> November, 2004;
- (viii) S.O. 3191, dated the 15<sup>th</sup> December, 2004;
- (ix) S.O. 389, dated the 5<sup>th</sup> February, 2005;
- (x) S.O. 1001, dated the 19<sup>th</sup> March, 2005;
- (xi) S.O. 1306 dated the 8<sup>th</sup> April, 2006;
- (xii) S.O. 3008 dated the 13<sup>th</sup> October, 2007;
- (xiii) S.O. 2944 dated the 25<sup>th</sup> October, 2008.
- (xiv) S.O. 3117(E) dated the 23<sup>rd</sup> September, 2013.

(File No.2015/F(E)III(1)4)

*Tanveer*

(TANVEER AHMED)  
Executive Director Finance(Estt.),  
Railway Board

No. 2015/F(E)III /1(1)/4

New Delhi, Dated: 17.06.2016.

Copy forwarded to the General Managers and F&CAOs, All Zonal Railways & Production Units/RDSO etc.(As per standard mailing list).




(Valdehi Gopal)

Joint Director Finance(Estt.),  
Railway Board.

New Delhi, Dated: 17.06.2016.

No. 2015/F(E)III /1(1)/4

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhavan, New Delhi (40 spares).



for Financial Commissioner/Railways.

No. 2015/F(E)III /1(1)/4

New Delhi, Dated: 17.06.2016.

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-c, Feroze Shah Road, New Delhi (with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).
5. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Room No. 402, Rail Bhavan.
6. The Secretary, RBSS Group "B" Officers Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares)
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
9. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
10. The Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110 001. (5 spares)
11. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhavan, New Delhi.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi.



for Secretary/Railway Board.

No. 2015/F(E)III /1(1)/4

New Delhi, Dated: 17.06.2016.

1. The G.M, N.F Railway(Const).
2. The Director General and Ex.officio General Manager, RDSO/Lucknow.
3. The General Manager and FA&CAO, Metro Railway/Kolkata.
4. The CAO and FA&CAO, COFMOW/New Delhi.
5. The General Manager and FA&CAO, CORE/Allahabad.
6. Director General, Railway Staff College/Vadodra.
7. The Executive Director, CAMTECH/Gwalior-474020
8. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISSET/ Secunderabad.
9. The Managing Director, IRCON, IRFC, MRVC, IRWO, IRC&TC, CONCOR of India Limited, Executive Director, CRIS.
10. The Chairman -cum- Managing Director, KRC Limited/New Delhi
11. Office of the Chief Project Administrator(Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom(IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi.
12. The Director(Movement) Railways/Kolkata.
13. The Joint Director, MII Rail, Ministry of Defence.

14. The Joint Secretary, Iron & Steel, 5 Koila Ghat Street/Kolkata.
15. Chief Mining Advisor, Ministry of Railway, Dhanbad, Bihar
16. The Chairman, ROC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi.
17. The Chairman, RCT/Delhi.
18. The Chairman, RRT, Chennai.
19. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad, and Trivandrum.
20. The Editor, "Bharatiya Rail".
21. The Editor "Indian Railways".
22. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways(Railway Board)
- 23 The General Secretary, IRCANew Delhi.
- 24 The Chief Commissioner of Railway Safety/Lucknow.
- 25 Chairman, RITES.
- 26 Chairman, CAT.
- 27.The Managing Director, Rail Vikas Nigam Ltd., Plot No. 25, First Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.
28. Manager/HRD,Rail Land Development Authority, Near Sadarjung Railway Station, Motibagh-1,New Delhi - 110021. Email: [mrhrd@rlda.in](mailto:mrhrd@rlda.in)
- 29.The Chief Mechanical Engineer, Indian Railway Organisation for Alternate Fuels, 12<sup>th</sup> Floor, Core-1, Scope Minar, District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-62.
30. Office of the Chief Administrative Officer, Indian Railways (Workshop Projects), Chamber Bhawan, Judge's Court Road,Anta Ghat,Patna-800001, Bihar.
31. The Chief Administrative Officer, Rail Coach Factory/Rasbarali Project, Kshanganj,Delhi-7.

Copy to:-

1. Shri V.K. Sthanunathan, National President, National Federation of Railway Pensioners, 36, Venkatanarayana Road, T. Nagar, Chennai-600 017.
2. Shri K. Gopinath Menon, The Secretary General, National Federation of Railway Pensioners, Kunnathurmedu, Palghat- 678 013.
3. Shri Y.N.Sestry, President, AIRRF, Rty Block-303, Railway Colony High School, Chilkalguda, Secunderabad-500 025.
4. B. Jayajaya Rao, President, All India Retired Railway Officer's Association, 12-13-268 (505)New, Street-2, Lane 9, Tamala, Secunderabad-500 017.
5. The General Secretary, Railway Pensioners' Council Kisan Kutir, Larkania Tola, Katihar.
6. The General Secretary, All India Federation of Pensioners Association, T.P.M Hall,22, Kavirai Street, Saidapet West, Chennai-600 015.
7. Shri S.S.Ramachandra, Secretary General, All India Central Committee of Pensioners Association. Flat No.144, New Suryakiran Apartments, Plot No.65,Patparganj, N.Delhi-110082.
8. Shri M.S.Solanki, General Secretary, Central and AIS Pensioners Association, E-4/164, Arena Colony, Bhopal(M.P) 462 016
9. Shri Nirmal Dass Gupta, Vice President, Federation of Central Government Pensioners' Organisation, P-24C, Sagar Manra Road, Kolkata. 700 080
10. Shri B.S Dard, Secretary General, Central Government Pensioners' Association, 1874/2, Sector-64, S.A.S Nagar, Chandigarh 160 061.
11. Shri C.R. Chatwani, Central Government Pensioners' Association, "SHIVANAND", 11/13, Krishna Kunj Society, Chhotunagar-7, Rajya Road, Rajkot 360 001.
12. Secretary General, Bharat Pensioners' Samaj, Post Box 3303, Jangpura Extension, New Delhi-110 014.
- 13 The Secretary General, National Federation of Railway Pensioners' Organization, 825, Supertech Residency, Sector-5, Plot No. 6A, Ghaziabad-201010.
14. M/s. Bahri Bros., Publishers, Booksellers & Distributors, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110006.

15. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association(Regd), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

Copy to:-

PSOs/Sr. PPSs/ PPSs/PSe/PAs to: MR, MSR(A), MSR(M), CRB, FC, MT, ME, MS, MM, ML, DG(RHS), DG(RPF), Secretary, All Additional Members, Adv.(S) , All Executive Directors, IG/RPSF, JS, JS(G), JS(E), DE(Res) I & II, DE(GC), DE(G), DE(N), DE (Rep), DPC-I, II, DS(D), DS(E), DS(G), JDMPP), JDE(N), JDF(E), JDE(Rep), JDPC-VI, JDE(G), JDE(D&A), JDE(P&A), JDE(Gaz), JDE(W), JDE(GP), JDE(Res), JDE(L), JDE(LR), DDF(E)-I, II, DDE(LR), I, II, III, DDE(R), II, DDE(D&A), DDE(P&A), II, III, DDE(Rep), US(A), US(E), W.O./Railway Board.

Cash-I, II, III, E(P&A)VI, E(G), E(NG)I&II, PC-VI, V, IV, III, E(Trg), E(MPP), E(LR)I&II, F(E)-I, II, F(E)Spl, Security(E), Security(ABE), Accounts-III, Accounts (Inep.), ERB-I, II, III, IV, V & D, G(Pass), G(Acc), E(Welfare), E(SCT) I & II, E(O), I, II, III & III(CC), E(GR), I, II, E(GP), E(GC), PR, E(D&A), Budget, O&M, Code Revision Cell(with 2 spares), C&IS (with 2 spares)A/Cs-II, PG, E(Rep)-I, II, III, Railway Board.

(Copy to DOP&PW w.r.t their Notification F.Nos.1/12(i)/2013-P&PW(E) dated 28.03.2014, 1/19/2013 – P&PW(E) dated 20.02.2014 & 29.08.2014 and 4/2/2014 – P&PW(Coord.) dated 30.03.2015)